


सेवा धर्म और उसका स्वरूप



सेवा धर्म और उसका स्वरूप



लेखक :

पं. श्रीराम शर्मा आचार्य



प्रकाशक :

युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट

गायत्री तपोभूमि, मथुरा

फोन : (०५६५) २५३०१२८, २५३०३९९

मो. ०९९२७०८६२८७, ०९९२७०८६२८९

फैक्स नं०- २५३०२००



पुनरावृत्ति सन् २०१३

मूल्य : १२.०० रुपये

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
१. सेवा की आवश्यकता और स्वरूप	३
२. समस्याओं के स्वरूप और कारण	२१
३. सेवा-धर्म का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप	२७
४. ज्ञान यज्ञ का व्यावहारिक स्वरूप	४३

“सेवा धर्म परमगहनो” यह शास्त्र का वाक्य सर्वथा सार्थक है। वास्तविक धर्म-कार्य वही कहला सकता है, जिसमें किसी प्रकार की सेवा-भावना हो, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, व्यक्ति या समाज के किसी कष्ट या अभाव का निवारण होता हो। इस पुस्तक से आपको विदित होगा कि अपने जीवन को किस मार्ग पर अग्रसर करने से आप सेवा-धर्म के पालन करने का श्रेय और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं।

मुद्रक :

युग निर्माण योजना प्रेस,

गायत्री तपोभूमि, मथुरा-२८१००३

सेवा की आवश्यकता और स्वरूप

जन-साधारण की गतिविधियाँ और क्रिया-कलाप केवल अपने तक ही सीमित रहते हैं। सामान्य व्यक्ति अपना सुख और हित देखना ही पर्याप्त समझता है। वह सोचता है कि अपने लिए पर्याप्त साधन-सुविधायें जुट जायें, अपने लिए सुखदायक परिस्थितियाँ हों, इतना ही काफी है। शेष सब चाहे जिस स्थिति में पड़े रहें। स्वार्थपरता इसी का नाम है। 'स्व' के संकुचित दायरे में पड़े व्यक्तियों की रीति-नीति इसी स्तर की होती है। जब उसकी परिधि विस्तृत होती चलती है, व्यक्ति अपनेपन का विकास करता है, तो उसमें दूसरों के लिए भी कुछ करने की उमंग उठने लगती है और व्यक्ति सेवा मार्ग पर अग्रसर होने लगता है।

आत्मिक चेतना का विकास जैसे-जैसे होने लगता है, सेवा की तीस उसी स्तर की उठने लगती है और व्यक्ति स्वयं की ही नहीं, सबकी सुख-सुविधाओं और हित-अहित की चिंता करने लगता है, उनका ध्यान रखने लगता है। परमार्थ साधना में लगे व्यक्तियों को उससे भी उत्कृष्ट आनंद और आत्म-संतोष अनुभव होता है, जो स्वार्थ-पूर्ति में ही लगे व्यक्तियों को प्राप्त होता है।

पुण्य-परमार्थ, लोक-मंगल, जन-कल्याण, समाजहित आदि सेवासाधना के ही पर्यायवाची नाम हैं और इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जिन व्यक्तियों ने भी इस पद्धति से—जीवन सार्थकता की साधना को, मनुष्य और समाज का स्तर ऊँचा उठाने के लिए योगदान दिया, सामाजिक सुख-शांति में बाधक तत्वों का उन्मूलन करने के लिए प्रयत्न किये समाज ने उन्हें सिर-आँखों पर उठा लिया। महापुरुषों के रूप में आज हम उन्हीं नर-रत्नों का स्मरण और वंदन करते हैं।

मानवी सभ्यता और संस्कृति के विकास में सबसे बड़ी बाधा है—व्यक्ति और समाज को त्रस्त करने वाली समस्याएँ। आज

जिधर भी देखा जाए उधर अभाव, असंतोष, चिंता, क्लेश व कलह का ही बाहुल्य दिखाई देता है। यों पिछले सौ-पचास वर्षों में वैज्ञानिक प्रगति इतनी तीव्र गति से हुई है कि उनसे कुछ पहले उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जीवन को सहज और सुविधामय बनाने के लिए विज्ञान ने एक से बढ़कर एक उपाय किये हैं और वे सफल भी रहे हैं। परंतु उनसे न व्यक्ति सुखी हुआ है, न समाज में शांति आयी है। सुविधा बढ़ाने और पीड़ाओं को दूर करने के लिए अनेकानेक प्रयास किये गये हैं, पर उनसे समस्याएँ कम होने के स्थान पर बढ़ी हैं। पहले कहीं सुखा और अकाल पड़ता था, तो सौ-दो-सौ मील दूर पर रहने वालों को भी उनकी खबर नहीं चलती थी। फलस्वरूप जरा-सी अधिक बारिश होने पर फसलें बिगड़ जाने से, एक क्षेत्र के लोग भूखों मर जाते तो दूसरे क्षेत्रों में अन्न की प्रचुरता रहती। आज दुनिया के किसी भी कोने में अकाल पड़ता है, तो यातायात के साधन इतने बढ़ गये हैं कि दूसरे कोने से तुरंत सहायता पहुँचायी जा सकती है। एक-दूसरे के सुख-दुःख में सहायता करने की ऐसी व्यवस्था बन जाने पर भी लोग समस्याग्रस्त और संकटग्रस्त देखे जा सकते हैं। यदि कहा जाय कि समस्याएँ पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा बढ़ गयी हैं, तो अत्युक्ति न होगी।

आज से हजार वर्ष पहले का मनुष्य जिनके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता था, वे सुविधाएँ और साधन उपलब्ध होने पर भी लोग अपने आपको पूर्वापेक्षा अधिक अभावग्रस्त, रुग्ण, चिंतित, एकाकी, असहाय और समस्याओं से घिरा हुआ अनुभव करते हैं। भौतिक प्रगति के बढ़ जाने पर—साधन संपन्नता पहले की अपेक्षा अधिक होने पर तो यह होना चाहिए था कि हम सुखी और संतुष्ट रहते, लेकिन गहन आत्मनिरीक्षण करने पर इस अवधि में हम अपने को पहले से अधिक गिरा, पिछड़ा और बिगड़ा पाते हैं। शारीरिक-स्वास्थ्य, मानसिक-संतुलन, पारिवारिक-सौजन्य, सामाजिक-सद्भाव, आर्थिक-संतोष और आंतरिक उल्लास के सभी क्षेत्रों में हमारा स्तर गिरा है। इस दृष्टि से आज की सुविधा-

संपन्नता और पूर्वकाल की सुविधा परिस्थितियों की तुलना की जाए तो भी यही लगता है कि उस असुविधा भरे समय के निवासी आज के हम लोगों की तुलना में असंख्य गुने सुखी और संतुष्ट थे। तब की और अब की परिस्थितियों में साधन-सुविधा की दृष्टि से भले ही विकास हुआ हो, परंतु सुख-शांति की दृष्टि से हमारा पतन ही हुआ है।

लोक-सेवियों को इस पतन का निराकरण करने के लिए प्रस्तुत होना चाहिए तथा समस्याओं की जड़ खोजकर, उन्हें खोदने में अपनी सेवा-साधना आरंभ करनी चाहिए। परिस्थितियों के कारण यह दीन-हीन दुर्दशा नहीं हुई है; परिस्थितियाँ तो पहले की अपेक्षा अब कहीं बहुत अधिक अच्छी हैं। वस्तुतः इस पतन के लिये हमारे आंतरिक स्तर की विकृति ही उत्तरदायी है। व्यक्ति और समाज में इन दिनों जो दुःख-दारिद्र्य की काली घटाएँ घुमड़ रही हैं, उसका कारण भावना स्तर में अवांछनीय विकृतियों का आ जाना ही है। इनका समाधान करना हो—आसन्न-पतन का यदि निराकरण करना हो तो अमुक समस्या के अमुक समाधान से काम नहीं चलेगा, वरन् सुधार की प्रक्रिया वहीं से आरंभ करनी होगी, जहाँ से कि ये विभीषिकाएँ उत्पन्न होती हैं।

इस स्तर की सेवा प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता और न इस तथ्य को ही समझ पाता है। फिर भी सेवा की उमंग तो है, उसे अन्य रूपों में भी किया जा सकता है। विभिन्न तरह से सेवा-साधना की जाती है और की जानी चाहिए। मोटे रूप में इन सेवाओं को (१) जन जीवन की जटिलताएँ सुलझाने, सुविधाएँ बढ़ाने तथा (२) पीड़ा का निवारण करने के रूप में विभाजित किया जा सकता है। जो लोग जन-जीवन की जटिलताओं और उत्पीड़न का कारण मानवीय स्तर में आई विकृतियों या पतन को मानते हैं। वे इस महत्त्वपूर्ण कार्य में लगे हैं। पर जिन्हें यह तथ्य ठीक से समझ नहीं आता और जो असुविधा तथा पीड़ा को ही मनुष्य व समाज की मुख्य समस्या समझते हैं, वे उस स्तर की सेवा में लगते हैं। वह सेवा भी प्रशंसनीय और सराहनीय है।

सुविधा संवर्धन—

जीवन-यापन के लिए अनेकों साधनों और सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य को छोड़कर अन्य प्राणी तो अपने ढंग से अपनी आवश्यकताएँ पूरी कर लेते हैं, पर मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, अतः उसकी आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति के तौर-तरीकों में भी एक सुघड़ता है। सभ्यता के विकास के साथ ही जीवन पद्धति भी दिनों-दिन सुसंस्कृत होती जाती है। उदाहरण के लिए—जंगली आदिवासी एक लंगोटी पहनकर ही शरीर की वस्त्र संबंधी आवश्यकता पूरी हुई मान लेते हैं, लेकिन सभ्य नागरिक के लिये सुडौल, करीने से सिले हुए और साफ-सुथरे उजले वस्त्र ही शोभा देते हैं। रहने के मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ, मनोरंजन आदि की व्यवस्थाएँ भी सभ्यता के साथ-साथ अधिक विकसित होती हैं।

आवश्यकताओं और साधनों के स्तर की सभ्यता से संगति का यह एक पक्ष हुआ। इसका दूसरा पक्ष है—सर्वसाधारण के लिए इनके उपलब्ध होने या न होने की संभावना। सभी व्यक्तियों के लिए जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुएँ ही सुलभता से नहीं मिल पातीं, तो उनके अच्छे स्तर की अपेक्षा कहाँ से की जा सकती है ? उदार और सेवाभावी व्यक्तियों द्वारा इन सुविधाओं के संवर्धन के जो प्रयास किये जाते हैं, वे इसीलिए आवश्यक और उपयोगी सिद्ध होते हैं कि सर्वसाधारण भी उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग कर, औसत स्तर के सभ्य बन सके। शिक्षा को ही लिया जाय, मध्यकाल में शिक्षा केवल संपन्न और धनीमानी वर्ग के लोगों के लिए ही संभव थी। तब उसकी इतनी आवश्यकता भी अनुभव नहीं की जाती होगी, क्योंकि तब ज्ञान-विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ था। आज तो स्थिति यह है, कि यदि व्यक्ति ज्ञान-विज्ञान की सामयिक धाराओं से एकदम अलग कटा रहे तो उसका जीना ही दूभर हो जाए। इन दिनों ज्ञान-विज्ञान का बड़ी तीव्रता से विकास हुआ है और ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न धाराओं ने जीवन के सभी पक्षों में इस

तरह हस्तक्षेप किया है कि उनकी व्यावहारिक जानकारी प्राप्त किये बिना कोई सभ्य-सुसंस्कृत बन ही नहीं सकता। इसके लिए शिक्षा पहले से अधिक आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी हो गयी है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह सुलभ भी नहीं है। शहरों, नगरों, कस्बों और कुछ बड़े देहातों को छोड़ दें, तो गाँवों, देहातों में शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऐसी स्थिति में साधन-संपन्न लोग यदि शिक्षा के लिए स्कूल खोलें, शिक्षा का प्रचार करें तो उसे सेवापरक कार्य ही कहा जाना चाहिए।

शिक्षा प्रचार की सेवा को सुविधा-संवर्धन वर्ग में रखा जा सकता है। सुविधा अर्थात् जिससे जीवन की जटिलताएँ कम हों। यद्यपि सुविधा का सामान्यतः यह अर्थ किया जाता है कि मनुष्य के श्रम को घटाने वाले साधनों का उपयोग हो। उस ढंग की सुविधा न आवश्यक है और न उपयोगी, वरन् वह जीवन की जटिलताओं को सुलझाने के स्थान पर भी उलझा देती है। शिक्षा मनुष्य जीवन की जटिलताओं को कम करती है, उन्हें सुलझाने का प्रयोजन पूरा करती है, इसलिए उस दिशा में किये गये कार्य सेवा-स्तर के ही कहे जा सकते हैं।

जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुएँ सामान्य स्थिति के व्यक्तियों को सुगमता से उपलब्ध कराना अपने आप में एक बड़ा कार्य है। रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली ऐसी बहुत-सी चीजें हैं, जिनके लिए सहकारी स्टोर खोले जा सकते हैं अथवा उनकी सरल उपलब्धियों के लिये अन्य व्यवस्थाएँ बनायी जा सकती हैं। इनके लिए नियमित रूप से समय और श्रम लगाने की आवश्यकता है। बहुत-से कार्य ऐसे भी हैं, जिनमें एक बार निश्चित समय लगा देने पर स्थायी व्यवस्था हो जाती है। तालाब खोदने, कुँआ बनाने, सड़क तैयार करने, व्यायामशाला खोलने जैसे कार्य इस तरह के काम हैं, जिनमें एक बार लगने के बाद उन्हें दुबारा देखने की जरूरत बहुत दिनों-वर्षों बाद पड़ती है।

गाँवों में प्रायः पानी का अभाव रहता है। यदि वहाँ पास ही कोई नदी, नाला या तालाब हों तो ठीक है, अन्यथा गाँव के कुँए

गर्मियों में सूखकर जलाभाव पैदा कर देते हैं। नदी-नालों और तालाबों की भी यही दशा होती है। कुछ सेवाभावी लोग इस ओर भी ध्यान देते हैं और गाँव वालों का जलसंकट दूर हो सकता है। पानी-जीवन का मुख्य आधार है। अन्य प्राणियों को भी अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, पर मनुष्य को तो उसकी सबसे ज्यादा ही आवश्यकता पड़ती है। जलचरों की बात छोड़ें, उनका तो जीवन ही पानी है, परंतु मनुष्य का काम भी पानी के बिना नहीं चलता। पानी पीने से लेकर कपड़े धोने, नहाने, मकान बनाने, इमारत तैयार करने, अन्न उपजाने, सिंचाई करने जैसे सभी कार्य पानी के बिना नहीं होते।

गाँवों या कस्बों में कुछ सेवाभावी लोग यदि चाहें तो श्रमदान द्वारा तालाब खोद सकते हैं। बहुत-से तालाब गर्मियों में सूख जाते हैं, उनमें काफी मिट्टी भर जाती है। बरसात में पानी के साथ बहकर आयी हुई मिट्टी भी उसमें जमा होती रहती है। गर्मियों में उसे निकाल देने पर उनमें कई वर्ष तक तालाब में गर्मियों के समय भी पानी भरा रह सकता है। उससे सिंचाई का काम लिया जा सकता है। पशुओं और ढोरों को पानी पिलाया जा सकता है। यही दुर्दशा कुँओं की भी होती है। कम गहरे कुँए गर्मी में जल्दी सूख जाते हैं, उन्हें श्रमदान द्वारा गहरा किया जा सकता है, नये कुँए खोदे जा सकते हैं।

गाँवों में आवागमन की सुविधाजनक व्यवस्था बहुत कम उपलब्ध हो पाती है। इसका कारण वहाँ वाहन चलने लायक सड़कें न होना ही है। गाँव में कुछ विचारशील और सेवाभावी व्यक्ति तैयार हो जाएँ, तो बिना किसी बाहरी सहयोग के सड़कें तैयार की जा सकती हैं तथा शहरों से उनका सीधा संबंध जोड़ा जा सकता है।

शहरों में जाना-आना बड़ा महँगा सिद्ध होता है। संपन्न स्थिति के व्यक्ति तो उस खर्च को बर्दाश्त कर लेते हैं, परंतु जिनकी आर्थिक स्थिति साधारण स्तर की है, उनके लिए यह खर्च कमर तोड़ देने वाला सिद्ध होता है। आने-जाने से अधिक वहाँ ठहरना और खाना महँगा पड़ता है। यदि इस प्रयोजन के लिए धर्मशालाएँ

बनायी जा सकें तो साधारण स्थिति के व्यक्ति भी उस सुविधा से लाभ उठा सकते हैं। आजकल धर्मशालाओं का जो स्वरूप प्रचलित है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। कई शहरों में धर्मशालाएँ केवल ठहराने का ही काम करती हैं। धनवान व्यक्ति अपने यश के लिए धर्मशाला बनवा देते हैं और लोगों को उनमें मुफ्त ठहरने देते हैं। ठहरने वाले जो अपने-अपने काम से शहर आते हैं, उस व्यवस्था का लाभ उठाते और मुफ्त में ठहरते हैं। नैतिकता की दृष्टि से यह अनुचित है। जब मुफ्त का खाना नहीं खाया जाता, मुफ्त के कपड़े नहीं पहने जाते, तो मुफ्त में कहीं ठहरा क्यों जाय ? पैसा देकर भोजन करने और पैसे से ही वस्त्र खरीदने की तरह ही, पैसा देकर ठहरने की आदत डाली जाये। व्यापारिक उद्देश्यों अथवा सरकारी काम-काज से कहीं जाने पर स्वार्थ अपना सिद्ध होता है और लाभ-परमार्थ की व्यवस्था का उठाया जाता है। इसे अनुचित और अनैतिक कहा जाना चाहिए। संपन्न व्यक्ति होटलों में ठहरें और जो साधारण स्थिति के हों, वे भी मुफ्त में धर्मशाला में नहीं ठहरें। सामाजिक कल्याण के लिए—परमार्थ-सेवा के लिए कहीं जाया जाय, तो धर्मशाला में निःशुल्क ठहरना भी उचित है, अन्यथा व्यक्तिगत कार्य से कहीं जाने पर, धर्मशाला में ठहरने की परंपरा बंद की जानी चाहिए।

धर्मशालाओं में साधारण शुल्क लेकर ठहराने का नियम बनाया जाना चाहिए और वह भी केवल दुर्बल या असमर्थ आर्थिक स्थिति वालों के लिए हो। यदि उन्हें सस्ते होटल का रूप दिया जाय और बिना लाभ-हानिरहित के सिद्धांत पर चलाया जाय, तो गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को उनसे लाभ मिलेगा। लोगों को इससे पर्यटन की प्रेरणा भी मिल सकती है। संपन्न व्यक्ति अधिक खर्च कर सकते हैं, इसलिए वे सैर और देशाटन का लाभ भी उठा लेते हैं। निर्धन और मध्यम श्रेणी के व्यक्ति आने-जाने तथा ठहरने खाने में अधिक खर्च नहीं कर पाते, इस कारण पर्यटन के लाभों से वंचित रह जाते हैं। यदि धर्मशालाओं को सस्ते होटलों का रूप दिया जाय और उनके ठहरने खाने-पीने की सुविधाएँ लगभग उसी

मूल्य पर उपलब्ध कराई जायें, जितनी कि घर पर उपलब्ध हो पाती हैं तो धर्मशालाओं का सही उपयोग हो सकता है।

धर्मशालाओं की तरह ही नामवरी और पुण्य लाभ के उद्देश्य से अन्न क्षेत्र भी चलाये जाते हैं। अन्न क्षेत्र अर्थात् साधु-भिखारियों के लिए भोजन देने का स्थान। निर्धन व्यक्तियों को तो उनसे कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि उनमें भी आत्म सम्मान रहता है और आत्म सम्मान उन्हें साधु-भिखारियों की पंक्ति में किसी हालत में खड़ा नहीं होने देता। नामवरी और पुण्य लाभ के लिए स्थापित अन्न क्षेत्र निठल्ले साधु, बाबाओं तथा अकर्मण्य भिखारियों के लिए आश्रय स्थान बन जाते हैं। इससे थोड़ी देर के लिए वाहवाही भले ही मिल जाय, परंतु वास्तविक पुण्य-लाभ नहीं मिलता। दान की जो प्रक्रिया पात्र-अपात्र का विचार किये बिना ही आरंभ की जाती है, वह बड़ी अविवेकपूर्ण है। निठल्ले और अकर्मण्य लोगों को भोजन कराना पुण्य नहीं पाप है। आत्म हत्या के इरादे से कोई व्यक्ति चाकू या छुरी माँगे, और यह जानते हुए उसे चाकू छुरी दे दी जाय तो कौन उसे समझदार कहेगा ? बल्कि वह व्यक्ति आत्म हत्या करने में सहयोग देने के कारण पाप के परिणाम और न्याय के दंड का पात्र बनेगा। अन्न क्षेत्र खोलकर मुफ्त भोजन बाँटते फिरने से मुफ्तखोरी को ही प्रोत्साहन मिलता है। यह व्यक्तित्व की हत्या नहीं तो क्या है ?

इसलिए अन्न क्षेत्रों को भी सस्ते होटलों का रूप दिया जाय। मुफ्तखोरी में अपनी संपत्ति लगाने की अपेक्षा तो बेहतर यह है कि उसमें कोई लाभ न उठाने की नीति अपनायी जाये और लागत मूल्य में ही भोजन दिया जाय। इससे न किसी को संकोच होगा और न निर्धन असमर्थ लोगों के आत्म सम्मान को ठेस पहुँचेगी। मुफ्तखोरी की जड़ कट जायेगी और वहाँ अन्न क्षेत्रों के रूप में स्थापित सस्ते होटलों का अतिरिक्त लाभ भी होगा।

इस तरह की सुविधाएँ विकसित करने के लिए साधन व्यवस्था कहाँ से जुटे, यह भी एक अहम् प्रश्न है। सेवा भावना हृदय में हो, उसके लिए टीस और कसक हो, परंतु उसके लिए व्यवस्था न जुट पाए तो भी कोई लाभ नहीं है। साधन जुटाने के

लिए भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। जिनकी स्थिति ऐसी है कि वे साधन-व्यवस्था स्वयं उपार्जित संपदा से जुटा सकते हैं, उन्हें तो करने में वैसे कोई अड़चन नहीं है। प्रश्न उन व्यक्तियों का है, जिनके मन में सेवा-भावना तो है, पर साधनों की दृष्टि से वे इतने संपन्न नहीं हैं। सेवा बुद्धि वाले अधिकांश व्यक्ति इस तरह के मिलेंगे। वे अपने उपार्जन का एक अंश इस प्रयोजन के लिए निकालते हैं। होना तो यह चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आमदनी में से एक हिस्सा समाज सेवा के लिए निकालता रहे। स्मरण रखा जाना चाहिए कि जो कुछ हम कमाते हैं, उस पर केवल हमारा ही हक नहीं होता, क्योंकि जो कुछ कमाया गया है, उसमें समाज का भी बड़ा भारी योगदान छुपा हुआ है। इसलिए उस पर समाज का भी हक है। समाज के उस हक को समाज के लिए ही देने का शुभारंभ कम से कम ३ प्रतिशत हिस्से से तो किया ही जाना चाहिए। इससे अधिक अंशदान भी किया जा सकता है, परंतु इससे कम तो किसी भी दशा में न हो।

अंशदान की तरह ही समयदान भी किया जाता है। अपना सारा समय निजी प्रयोजनों में लगाया जा सके, ऐसी स्थिति तो बहुत कम लोगों की होती है। जन सामान्य के लिए व्यावहारिक नियम यह हो सकता है कि वे दिन-रात के २४ घंटों में से न्यूनतम निश्चित समय निर्धारित कर लें। साधारणतः एक व्यक्ति ८ घंटे सोता और ८ घंटे जीवकोपार्जन के लिए श्रम करता है। नित्य कर्म, शौच, स्नान और भोजन-भजन में तीन-चार घंटे से अधिक नहीं लगते। शेष समय खाली ही रहता है, उसे समाज सेवा के लिए लगाया जा सकता है। अवकाश का समय सेवा कार्यों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।

अपना खाली समय लोकसेवा में लगाने के अतिरिक्त श्रमदान द्वारा भी सेवापरक गतिविधियाँ चलायी जा सकती हैं। समयदान में यद्यपि श्रम भी आ जाता है, परंतु यहाँ श्रमदान से तात्पर्य विशुद्ध शारीरिक सहयोग से है। जैसे कहीं गाँव में सड़क बनी, स्कूल बना या सहकारी स्टोर के लिए वस्तुएँ जुटाने और खपत बढ़ाने के लिए

भाग-दौड़ करनी पड़ी तो उसे श्रमदान समझना चाहिए। अंशदान, समयदान या श्रमदान में से कोई भी स्थिति किसी के पास न हो, ऐसा नहीं हो सकता। जो तीनों तरह से योगदान दे सकें, उन्हें तो देना ही चाहिए, परंतु तीनों में से एक भी क्रिया न अपनायी जाय तो यह सेवा-भावना के अभाव और निष्ठा की कमी का ही प्रमाण होगा।

प्रभावशाली और बुद्धिजीवी व्यक्ति अपने प्रभाव तथा प्रतिभा का उपयोग सेवा-कार्यों के लिए कर सकते हैं। कई कार्य ऐसे होते हैं, जिनमें व्यक्ति का प्रभाव बड़ा उपयोगी सिद्ध होता है। उदाहरण के लिए कोई स्कूल बनवाया जा रहा है, तो उसके लिए जन-सहयोग इकट्ठा करने की आवश्यकता पड़ सकती है। थोड़े-से सेवाभावी व्यक्ति यदि जन-सहयोग जुटाने निकल पड़े तो संभव है कि अपेक्षित सफलता न मिले, परंतु किसी प्रभावशाली प्रतिष्ठित व्यक्ति को साथ ले लिया जाये, तो उसका व्यक्तित्व लोगों को सहयोग प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित ही नहीं प्रभावित भी कर सकता है।

प्रतिभाशाली व्यक्ति साधन, सहयोग और प्रभाव का उपयोग प्रस्तुत न करने पर भी अपनी प्रतिभा सेवा-कार्यों में लगा सकते हैं। कई व्यक्तियों की बुद्धि इतनी पैनी होती है कि वे बड़ी गुत्थियाँ भी आसानी से सुलझा सकते हैं। सुविधा-संवर्धन की व्यवस्था बनाने और गतिविधियाँ आरंभ करने में पूर्व तैयारियाँ भी आवश्यक हैं। तैयारियाँ किस स्तर पर आरंभ की जायें, योजना का प्रारूप और स्वरूप किस तरह निर्धारित किया जाये—आदि बातों के लिए सूक्ष्म और पैनी बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। इसमें प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बड़ा योगदान कर सकते हैं।

अपनी सेवा भावना को दिशा देने और कार्यरूप में परिणत करने के लिए यह एक क्षेत्र है। जन-जीवन की जटिलताओं को सुलझाना भी महत्त्वपूर्ण सेवा है। अपने परिवार के लिए जिस प्रकार हम व्यग्र और आकुल हो उठते हैं, उसी प्रकार जन-जीवन की जटिलताओं को हल करने के लिए उमंग उठे, तो समझना चाहिए सेवा बुद्धि और सेवा-निष्ठा का विकास आरंभ हो रहा है। लेकिन

सेवा का यह स्वरूप पूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सुविधाएँ मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, मूल आवश्यकता मनुष्य का सुख और उसका संतोष है। यह आंतरिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। मनःस्थिति यदि परिमार्जित न हो तो अनेकों सुविधाएँ भी व्यर्थ और निरुपयोगी हो जाती हैं।

सुविधा-संवर्धन को अनावश्यक तो नहीं कहा जा सकता है। पर उसे सेवा-बुद्धि का पूर्ण-परिपक्व विकास भी नहीं कहा जा सकता। उससे भी ज्यादा आवश्यक मनुष्य की पीड़ाएँ और समस्याएँ हैं। हमारा समाज तथा समाज के सदस्य विभिन्न समस्याओं से कष्टप्रद स्थितियों से ग्रस्त हैं। उन्हें दूर करने के लिए तत्पर हुआ जाय, तो यह सुविधा-संवर्धन से भी उत्कृष्ट स्तर की सेवा होगी। पीडाजनक परिस्थितियों और कष्टदायक समस्याओं से यदि छुटकारा मिल सके तो विकास करना और सुविधाएँ बढ़ाना मनुष्य का नैसर्गिक स्वभाव है। इसे विकसित करने के लिए सेवा-निष्ठा में निखार लाने के लिए पीड़ित मानवता की पुकार सुननी चाहिए।

पाठशालाओं, कुटीर उद्योगों तथा अन्यान्य ढंग की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अन्य तंत्र भी खड़े किये जा सकते हैं, परंतु सेवा भावना का वास्तविक निखार मनुष्य की समस्याओं, कठिनाइयों तथा पीड़ाओं को समझने, उनसे अनुभूति जताने और उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्न करने पर आता है। सुविधा-संवर्धन में एक प्रमुख बाधा यह भी है कि उसमें व्यक्ति के विचलित होने की संभावना अधिक रहती है। सहकारी स्टोर खोलने से लेकर स्कूल चलाने और औद्योगिक प्रशिक्षण देने तक के कार्य ऐसे हैं, जिनमें व्यवसाय और सेवा का अंतर करना सहज नहीं है। सहकारी स्टोर सेवा-भावना से भी चलाये जा सकते हैं और व्यावसायिक उद्देश्य से भी। इसी तरह अन्य कार्य भी हैं। बहुत-से व्यक्ति ऐसे भी हैं, जो जनता की सेवा के बहाने घर भरने का स्वार्थ बुरी तरह सिद्ध कर रहे हैं और बाहर से कोई पता नहीं चलता। कहने का

अर्थ यह है कि वही विकृति यदि अपने भीतर भी घुस पड़ी तो व्यक्तित्व ही नष्ट हो जाने का डर उत्पन्न होता है।

जहाँ आवश्यक होता है वहाँ परिस्थितियों के अनुसार सुविधा संवर्धन के कार्यक्रम भी चलाये जाते हैं, परंतु उन्हें ही सर्वांगीण सेवा नहीं समझ लेना चाहिए, अपनी सेवा निष्ठा का विकास करने के लिए पीड़ा और पतन के निवारण को अधिक महत्त्वपूर्ण समझना चाहिए।

पीड़ा निवारण—

बहुतों को यह लगता है कि अभावग्रस्त कठिनाइयों को दूर करने के स्थान पर उत्पीड़न जनित क्षोभ और पीड़ा का निवारण अधिक महत्त्वपूर्ण है, उन्हें अपनी करुणा का उपयोग पीड़ा-निवारण के लिए ही अधिक सार्थक लगता है। पीड़ा-निवारण के लिए किए गए प्रयास भी सेवा-साधना का सराहनीय स्वरूप है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की समस्याएँ उसी की अपनी उत्पन्न की हुई होती हैं। उनकी जड़ मस्तिष्क, बुद्धि, दृष्टिकोण, विचारधाराओं और भावनाओं में रहती हैं। लेकिन राहत कार्य की तरह सहायता के रूप में पीड़ा निवारण के प्रयास किए जा सकते हैं। पीड़ाओं से पूर्णतया मुक्ति तो स्वयं प्रयत्न किए बिना नहीं पायी जा सकती, लेकिन व्यक्ति के प्रति इतना सहयोग किया जा सकता है कि उसे तत्काल राह मिल जाए और आगे के लिए दिशा भी।

कई स्थितियाँ ऐसी आती हैं, जिनमें सहायता के रूप में ही सेवा की जा सकती है। जैसे कोई बड़ी दुर्घटना घट जाय, भूकंप आ जाय तो बाढ़, सूखा, अकाल, महामारी आदि स्थितियों में राहत कार्य चलाये जा सकते हैं। उस समय कष्ट-पीड़ितों को जितनी आवश्यकता तात्कालिक सहायता की है, उतनी आवश्यकता अन्य बातों की नहीं होती। इस स्तर की परिस्थितियों में समय, श्रम और धन को पीड़ित मनुष्यों के लिए लगाना चाहिए।

अकाल, बाढ़, सूखे आदि के समय उनके शिकार हुए लोगों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं। यह सराहनीय है।

अपने परिवार में किसी को खाना न मिलने पर जिस प्रकार चिंता व्यक्त की जाती है, उसी प्रकार भावनाशील उदार और सेवाभावी व्यक्ति अकाल तथा बाढ़ के समय सामूहिक रूप से विपत्तिग्रस्तों के लिए चिंतित हो उठते हैं और महामारी आदि दुर्घटनाओं के समय लोगों के लिए तत्काल राहत पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं। इससे अनेकों व्यक्ति असमय काल-कवलित होने से बच जाते हैं। दुर्घटनाओं में घायल हुए व्यक्तियों को तुरंत अस्पताल पहुँचाना, जिन्हें कम चोट लगी हो, उन्हें प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना आदि कार्य समय और परिस्थिति के अनुसार किये जा सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी रखना भी इतना आवश्यक है कि उसके अभाव में कोई भी छोटी-सी घटना बड़ी हानि का कारण बन जाती है। उदाहरण के लिये, चोट लगने पर पट्टी बाँधना और मरहम-पट्टी करना नहीं आया तो घाव में लगे धूल के कण सेप्टिक से लेकर टिटनेस जैसी प्रतिक्रियात्मक बीमारी खड़ी कर देते हैं। इसलिए विशेषज्ञ व्यक्तियों को सेवा भावना से ऐसा प्रशिक्षण क्रम चलाना चाहिए, जिसमें समझदार व्यक्तियों और पढ़े-लिखे लोगों को फर्स्ट एड का प्रशिक्षण मिल सके। गाँवों में बहुत-से लोग सर्पदंश के कारण मर जाते हैं और बिच्छू काटने तथा कनखजूरा काटने के कारण मर्मांतक वेदना भोगते हैं। यदि इन घातक जीवों के काटने का उपचार कुछ समझदार व्यक्ति प्रत्येक गाँव में जानने लगेँ और यह चिकित्सा कार्य सेवा भावना से आवश्यकता पड़ने पर करने लगेँ तो यह भी सराहनीय है।

गाँवों में तथा निर्धन परिवारों के लिए भी रोग बीमारी में चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पातीं। इसी कारण साधारण-सा बुखार, निमोनिया और साधारण खाँसी ही टी. बी. में बदल जाती है। आमतौर पर लोगों को यह भी मालूम नहीं होता कि इनके इलाज के लिए कहाँ जाया जाय व क्या किया जाय ? कई व्यक्तियों ने उनके लिए सस्ते चिकित्सा केंद्र खोलने के प्रयास किये हैं, तथा उनसे निर्धन परिवारों को रोग बीमारी से निपटने में सहायता पहुँचायी जाती है। बीमारियों के लिए पैथोलॉजी सेंटर भी

खोले जाते हैं। जहाँ मल-मूत्र, रक्त आदि की जाँच की जाय और लोगों को चिकित्सकीय परामर्श दिया जाय। प्रायः इन जाँचों में भी बड़ा भारी खर्च होता है। कई सेवाभावी डाक्टर इस तरह के सेवा कार्य निःशुल्क या नाम मात्र का शुल्क लेकर चलाते हैं और निर्धन रोगियों के लिए महत्त्वपूर्ण सहायता करते हैं।

लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की सेवा-सहायता से अयोग्य व्यक्ति अनुचित लाभ न उठा पाएँ। इसकी परीक्षा कैसे हो ? यह सेवा-सहायता के स्वरूप पर निर्भर है। उदाहरण के लिए सफर में कुछ लोगों की जेब कट जाती है या सामान चोरी चला जाता है। वास्तव में उन्हें सहायता की जरूरत रहती है। परंतु इस संकट के बहाने चालाक, धूर्त व्यक्ति ठगने का काम भी करते हैं। लोग अब इस तरह की बातों से काफी सतर्क रहते हैं और वास्तव में संकटग्रस्त व्यक्ति की सहायता करने में भी हिचकिचाते हैं। फलस्वरूप संकट में फँसे व्यक्तियों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। करुणा का शोषण, दोहन न हो और संकटग्रस्त व्यक्तियों को सहायता भी मिल जाए, इसका बेहतर तरीका उपरोक्त परिस्थिति में यह हो सकता है कि उन लोगों को कोई काम देकर तात्कालिक उपार्जन के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अन्य परिस्थितियों में भी इस तरह की व्यवस्थाएँ खोजी जा सकती हैं और ऐसे तरीके निकाले जा सकते हैं, जिनके द्वारा करुणा का शोषण न हो सके।

पीड़ितों के लिए सूचना केंद्र स्थापित करना भी पीड़ा-निवारण की सेवा-साधना का एक स्वरूप है। बहुत-से लोगों को तो इस बात का ही पता नहीं होता कि किस रोग का इलाज कहाँ होता है ? बिगड़े और आवारा-अनाथ बच्चों के लिए सुधारगृह, अनाथालय; असहाय गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रसूति केंद्र, पाशविक प्रवृत्तियों की शिकार विधवा, परित्यक्ता या कुंवारी स्त्रियाँ—जो नर-पशुओं के हाथ पड़कर गर्भवती हो गयी हैं तथा गर्भवती हैं, उनके लिए नारी निकेतन, पागल व्यक्तियों के उषचार हेतु मानसिक चिकित्सा आदि

बातों की जानकारी यदि उपलब्ध कराई जा सके तो कई जीवन नष्ट होने से बचाये जा सकते हैं।

अवांछनीय प्रवृत्तियों के कारण अवैध संतानें और नाजायज गर्भ होते हैं। उन प्रवृत्तियों को जड़-मूल से उखाड़ने के तौर-तरीके अलग हैं और सेवा साधना का वह क्षेत्र भी अलग है। यहाँ चर्चा केवल उत्पीड़ित व्यक्तियों की सेवा-सहायता के विषय में की जा रही है। कई समाजसेवी संस्थाएँ इस तरह के काम करती हैं। उनका सेवाक्षेत्र ही यही है कि पीड़ितों की सहायता की जाये। जैसे रेडक्रास के कार्यकर्ता युद्ध के समय युद्ध के मैदान में जाते हैं और दोनों पक्षों के घायल सैनिकों की समान भाव से सहायता करते हैं। वे गोली चलाना बंद कराने या समझाने का काम नहीं करते। उनका काम केवल पीड़ितों की सहायता, सेवा-सुश्रुषा भर करना है।

पीड़ा-निवारण के पुण्य-कार्य में लगे सेवाभावी व्यक्तियों को उत्पीड़न का अंत करने के स्थान पर पीड़ित व्यक्तियों की सेवा-सुश्रुषा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उत्पीड़न के अंत का मार्ग संघर्ष का है और उसकी प्रकृति रीति-नीति भी भिन्न है। वह प्रक्रिया समय साध्य है, तत्काल तो पीड़ित व्यक्ति को राहत पहुँचाना ही आवश्यक है। जैसे गाँव में दो पक्षों में झगड़ा हुआ और मारपीट हो गई, उसमें लोग घायल भी हुए। कमजोर पड़ जाने वाला पक्ष आगे घात लगाने की योजना बनाने लगा। दोनों पक्षों में शांति स्थापित करने और समझौता कराने का कार्य बाद का है। पहले तो घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचाना तथा उनके उपचार की व्यवस्था करना ही आवश्यक है।

कामुकता जन्य व्यभिचार-अनाचार के कारण अधिक उपेक्षा, निंदा और भर्त्सना नारी पक्ष को ही सहनी पड़ती है। कई बार तो इसकी प्रतिक्रिया इतनी भीषण होती है कि पीड़ित नारी को आत्महत्या करनी पड़ती है अथवा वेश्यालय की शरण लेनी पड़ती है। उस समय कामलोलुपता को कोसने और उसके दुष्परिणाम सिद्ध करना ही पर्याप्त नहीं है। आवश्यक यह हो जाता है कि तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पीड़ित पक्ष की

सहायता की जाय। वह दोषी हो तो भी उसे आत्म-ग्लानि के कारण अथवा समाज के दबाव से आत्मघात या जीवित मृत्यु के नर्क में न गिरने दें।

इस स्तर के उत्पीड़न में सहायता-सुश्रूषा करने के अतिरिक्त रोगियों के लिए भी सूचनाएँ एकत्र करनी चाहिए। कुष्ठ रोग, कैंसर, नेत्र चिकित्सालय, नेत्र के बड़े अस्पताल, क्षय रोग के उपचार केंद्र सभी स्थानों पर नहीं होते, लेकिन रोगी कहीं भी हो सकते हैं। उपचार-व्यवस्था की जानकारी के अभाव में लोग उन रोगों के शिकंजे में फँसकर मौत की गोदी में जा पहुँचते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए उपचार केंद्रों की जानकारी उपलब्ध करायी जा सके और उन्हें केंद्रों से लाभ उठाने का मार्गदर्शन दिया जा सके, तो उनका बड़ा हित हो सकता है।

अवैध संतानों के लिए संरक्षण गृह, परित्यक्ता नारियों के लिए नारी आश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन खुले होते हैं। उन केंद्रों की जानकारी रखने पर यथा समय उन केंद्रों की सहायता पात्रों को उपलब्ध करायी जा सकती है। सामान्यतः लोगों को इस तरह के आश्रमों, निकेतनों की जानकारी नहीं रहती, फलतः पीड़ित व्यक्ति इधर-उधर भटकते और धक्के खाते रहते हैं। माना कि अवैध संतानें अवांछनीय संबंधों के कारण जन्मती हैं। पर उसमें उनका क्या दोष है ? दोषी तो उन्हें जन्म देने वाले माता-पिता और वह वातावरण है, जिसमें कि इस तरह की दुष्प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला।

किसी के पाप-दोष का दंड दूसरे ही उठाएँ, यह अनुचित ही है। इसलिए समाज में इस स्थिति को उत्पन्न करने वाले कारण दूर तो किये जाने चाहिए; परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि पीड़ित व्यक्ति को और उत्पीड़न दिया जाये तथा गलत आदमी को—जिसका कोई दोष नहीं है—सजा या दंड मिले।

इसी प्रकार पालतू जानवरों के बूढ़े, रोगी या कमजोर होने पर उनके साथ भी उपेक्षा बरती जाती है। मनुष्यता का तकाजा है कि जिन जानवरों से फायदा उठाया जाय, उनकी समुचित सेवा-

सुश्रुषा की जाय। सेवाभावी व्यक्तियों को चाहिए कि वे पशु-स्वामियों को इस आधार पर समझाएँ। लोग अपाहिज और बीमार जानवरों को व्यर्थ समझकर छोड़ देते हैं। वे बेचारे जहाँ-तहाँ गिरते पड़ते हैं। इसे पशु-स्वामियों की निर्दयता तो कहा ही जाना चाहिए, परंतु सेवा-भावी व्यक्ति उन पशु-मालिकों को कोसकर ही अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर देते हैं। बहुत-से लोग पशुओं के लिए ऐसे आश्रय केंद्र भी खोलते हैं, जहाँ उनके इलाज की व्यवस्था हो। निस्संदेह इस तरह के पशु-चिकित्सालयों से कोई लाभ नहीं होता। परंतु सेवा-कार्य लाभ कमाने के उद्देश्य से तो नहीं किये जा सकते। वह तो कारुणिक स्वभाव के संवदेनशील व्यक्तियों द्वारा अपनायी जाने वाली मनुष्यों और प्राणियों के पीड़ा-निवारण की क्रिया पद्धति है। इसमें अन्य सेवा-कार्यों की तरह लाभ-हानि का नहीं दूसरों के हित अहित का ही ध्यान रखा जाना चाहिए।

यदि स्थिति इस योग्य न हो कि सेवा कार्य के उद्देश्य से संस्थापित किसी भी प्रक्रिया को लगातार जारी रखा जा सके, तो उसके लिए लाभ न उठाने का नियम बना लिया जाये। निर्धन रोगियों की चिकित्सा, पशु-चिकित्सालय, अपाहिज पशुओं के लिए पशुशालाएँ आदि से इतना भर लाभ लिया जा सकता है कि किसी पर आर्थिक दबाव न पड़े।

सेवा-साधना में पीड़ा-निवारण का महत्त्व है। पर वह तात्कालिक राहत पहुँचाने के रूप में ही किया जा सकता है। ऐसी कोई स्थायी व्यवस्था बनाना न तो व्यावहारिक है और न संभव ही है कि जहाँ रहकर व्यक्ति की समस्याओं का संपूर्ण समाधान निकाला जा सके। रोगी को इलाज के समय तक तो कहीं आश्रय दिया जा सकता है, पर वह दुबारा बीमार न पड़े, उसका कोई प्रबंध पीड़ा-निवारण के रूप में नहीं किया जा सकता। उस समस्या का समाधान तो दूसरे ही ढंग से करना पड़ेगा और सर्वोपरि-सर्वोत्कृष्ट सेवा भी उसे ही कहा जायेगा।

कहते हैं कि किसी संत के पास कोई गरीब व्यक्ति गया, जिसको कई दिनों से खाना नहीं मिला था। संत ने उस समय तो

खाना खिला दिया, पर साथ ही उसका लोटा बेचकर एक कुल्हाड़ी खरीदकर भी दे दी और लकड़ी काटकर बेचने तथा उससे पेट भरने का रास्ता भी सुझाया। तात्कालिक सहायता के रूप में खाना खिला देने की बात उचित कही जा सकती है, पर लोटा बेचकर कुल्हाड़ी देने तथा कमाकर खाने की दिशा बताना सर्वश्रेष्ठ सेवा कही जायगी। सुविधा-संवर्धन और पीड़ा-निवारण भी उचित है, पर श्रेष्ठ स्तर की सेवा उसे ही कहा जाएगा, जिससे समस्याओं को स्वयं हल करने की दिशा मिलती है। जिससे व्यक्ति स्वयं अपनी गुत्थियों को सुलझाने की सामर्थ्य विकसित कर सके। इस उद्देश्य को पूरा करने वाली सेवा ही आध्यात्मिक स्तर की सेवा मानी जानी चाहिए। अन्य को अनावश्यक तो नहीं बताया जा रहा, उनकी भी समय और परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता है। परंतु सेवा का वह अभ्यास सदैव जारी रखा जा सके, वैसे अवसर कम ही आते हैं। विचार सेवा या पतन के उन्मूलन का अवसर सदैव प्रस्तुत है। वह श्रेष्ठ भी है और सहज भी।

इसके विपरीत पीड़ा-निवारण के प्रचंड प्रयास किए जाएँ और व्यक्ति का स्तर वही रहे, तो उन प्रयासों तथा संबंधित सुविधाओं का लाभ भी नहीं उठाया जा सकता। अस्तु विचारकों ने मानवीय व्यक्तित्व में आये पतन को दूर करना ही श्रेष्ठ सेवा माना है।



समस्याओं के स्वरूप और कारण

जन-जीवन को सहज और सरल बनाने के लिए सुविधाओं को बढ़ाना तथा पीड़ित जनों की सहायता-सुश्रुषा करना सेवा-धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। यह प्रयास किये जाएँ, फिर भी कई स्थितियाँ ऐसी आती हैं कि इनके लाभ स्थायी नहीं रह पाते। जैसे भूखे व्यक्ति को एक बार भोजन करा दिया जाय, उस समय तो उसका पेट भर जायेगा, लेकिन दुबारा जब फिर भूख लगेगी तो पहले की गई सेवा व्यर्थ हो जायेगी। इसी समस्या को गहराई से देखा जाय और उसके कारणों को दूर किया जाये तो वह अधिक श्रेष्ठ है। देखा जा सकता है कि वह व्यक्ति बेकार तो नहीं है, निकम्मा या कामचोर होने के कारण भिक्षाजीवी तो नहीं बन गया है। अन्य समस्याओं के संदर्भ में भी सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर उनके कारणों का पता लगाना और उन्हें दूर करना उत्कृष्ट स्तर की सेवा है।

मनुष्य की और समाज की स्थिति इन दिनों समस्याग्रस्त और संकटग्रस्त है। इन विभिन्न समस्याओं के कारण ही समाज की प्रगति-यात्रा अवरुद्ध रहती है। लोकसेवियों का महत्त्व और वर्चस्व समाज में इसीलिए रहता है कि वे समाज को आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान देते हैं और उसके उत्कर्ष में आने वाली बाधाओं को हटाते हैं। आज समाज के उत्कर्ष और मानवीय संस्कृति के विकास में सबसे बड़ी बाधा व्याप्त समस्याएँ ही हैं। अतः लोकसेवियों को प्रमुख रूप से उस ओर ही ध्यान देना चाहिए।

व्याप्त समस्याओं के समाधानों और मानवीय सभ्यता-संस्कृति के पतन को उत्थान की दिशा में अग्रसर करने के लिए उनके स्वरूप और कारणों को समझ लेना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में जिधर भी दृष्टि डालकर देखा जाय उधर अभाव, असंतोष, चिंता, क्लेश एवं कलह का ही बाहुल्य देखा जाता है। आज का व्यक्ति दिनों-दिन समस्याओं के जाल में जकड़ता चला जा रहा है। धनवान और निर्धन,

शिक्षित और अशिक्षित, रुग्ण और स्वस्थ सभी स्तर के मनुष्य अपने को अभावग्रस्त और संकटग्रस्त स्थिति में अनुभव करते हैं। उनकी समस्याएँ भी अलग हैं—स्वरूप भी भिन्न दिखाई देता है, इससे कारणों की खोज करते समय बरबस ही यह लगता है कि उनके कारण भी भिन्न-भिन्न होनी चाहिए, जबकि वस्तुतः ऐसा होता नहीं। स्वरूप को देखकर यदि कारण का पता लगाया जाय और उसका उपचार खोजा जाने लगे तो भ्रांति ही उत्पन्न होने की संभावना अधिक रहती है और समाधान की दिशा भी भटक जाती है।

चेचक फोड़े-फुंसियों के रूप में ही दिखाई देता है। आजकल तो प्रत्येक व्यक्ति उसे समझने लगा है। यदि उसके कारण पर ध्यान नहीं गया हो तो यही उपचार सही लगता है कि एक-एक फोड़े-फुंसी की मरहम-पट्टी की जाय और चेचक को ठीक किया जाए। स्पष्ट ही यह उपचार अनर्थकारी होगा और रक्त में आए विकार को दूर करने के अतिरिक्त कोई उपचार नहीं है। समस्याएँ अनेक हैं, चेचक के फोड़े-फुंसियों की तरह उनकी कोई निश्चित संख्या नहीं, पर मूल कारण उनका एक ही हो सकता है और उस मूल को हटाये बिना समस्याओं से त्राण नहीं पाया जा सकता। रक्त-विकार के शोधन की बात पर ध्यान न देकर यदि फोड़े-फुंसियों की मरहम-पट्टी की जाये तो उससे चेचक के रोग की स्थिति में सुधार होने की अपेक्षा और भी बिगाड़ हो जाता है। इन समस्याओं के मूल कारण को ढूँढ़कर, उन्हें दूर करना मुख्य बात है। समस्याओं के ऊपरी स्वरूप को तोड़ने के लिए माथा-पच्ची करने से कोई लाभ नहीं है।

किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो जाने या बहाव रुक जाने के कारण मच्छर पैदा होते हैं। लगता तो यह है कि मच्छरों को मार देने से काम चल जायेगा, परंतु एक-एक मच्छर को पकड़ना न तो संभव है और न उससे मच्छरों को रोका जा सकता है। मच्छरों को मारने वाली दवा छिड़कने से भी मच्छरों का बढ़ना बंद नहीं होता। जब तक दवा का असर रहे, तब तक मच्छर भले ही उस स्थान पर न आँ। असर मिटते ही मच्छर फिर पैदा होने लगेंगे। मच्छरों से निबटने का एक ही तरीका है कि उनका स्रोत, वह कारण

जिससे कि वे बढ़ते हैं, बंद कर दिया जाए। हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में आने वाली असंख्य समस्याओं का अलग-अलग समाधान न संभव है और न व्यावहारिक, उसके लिए तो समस्याओं की जड़ को ही टटोलना पड़ेगा और उसे खत्म करना पड़ेगा।

पेड़ के पत्ते तब हरे होते हैं, जबकि उनकी जड़ मजबूत, सुदृढ़ और धरती से पोषक रस खींचने में समर्थ हों। जड़ के मर जाने से या कमजोर हो जाने पर पेड़ भी मर जाता है और पत्ते भी सूख जाते हैं। बड़े-बड़े विशाल वृक्ष आँधी-तूफान में भी खड़े रहते हैं, तो उसका कारण जड़ों का मजबूत होना ही है। जड़ खोखली होने पर उनसे छोटे पेड़ भी गिर जाते हैं और बड़े पेड़ मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। यदि मनुष्य की जीवनी-शक्ति—जिसे जीवन चेतना कहना अधिक उपयुक्त होगा—सुदृढ़ और मजबूत हो, तो बाहर से कितनी ही विपत्तियाँ और कठिनाइयाँ क्यों न आएँ, मनुष्य सुखी और शांत रह सकता है। इसके विपरीत जीवन चेतना और अपने प्रति दृष्टिकोण यदि दुर्बल रहा, तो साधारण परिस्थितियाँ भी बड़ा संकट उपस्थित कर देती हैं। दृष्टिकोण को परिस्थितियों की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता की जड़ कहा जा सकता है।

यदि जड़ें और मजबूत हों तो वृक्ष का ऊर्ध्वमुखी विकास होता है और यदि जड़ें छोटी और कमजोर हों तो वे वृक्ष जिन्हें प्रकृति ही स्वयं विशाल और गगनचुंबी बनाती है, छोटे रह जाते हैं। जापान में देवदार के छोटे वृक्ष इसी प्रकार तैयार किये जाते हैं। सामान्यतः देवदार वृक्षों की लंबाई बीस-पच्चीस फुट तक रहती है। लेकिन जापानी लोग उन्हें गमलों में उगाते हैं, ताकि उनकी जड़ें अधिक गहरी न जा सकें। इसी कारण वे ज्यादा बढ़ नहीं पाते और छोटे ही रह जाते हैं।

देवदार के छोटे वृक्षों को देखकर कोई यह अनुमान भले ही लगाने लगे, किंतु उसके कारण कुछ और हैं। वास्तविक कारण जड़ों का विकास रुक जाना ही है। समस्याओं के वास्तविक कारण

पर ध्यान न देने से भी उसी प्रकार की भ्रांति हो सकती है। जैसे दो व्यक्ति लड़ रहे हों, एक-दूसरे को मार डालने पर उतारू हों और उस लड़ाई में कोई व्यक्ति मारा भी जाय तो लगता है कि यदि दूसरे के पास शस्त्र नहीं होता, तो वह व्यक्ति नहीं मरता। पर उस हत्या में शस्त्र का कोई दोष नहीं है, मूल कारण है उन व्यक्तियों के मन में बसा हुआ द्वेष।

द्वेष-भावना के कारण ही तमाम झगड़े-झंझट और मारपीट होती है। परिस्थितियों के कारण होती हो, ऐसा नहीं है। परिवार में किसी बच्चे को खिलाते समय अपने ही स्वजन के हाथों से वह गिर पड़े और गिरकर मर जाय, तो लोग यह सोचकर क्षमा कर देते हैं कि भूल हो गई। लेकिन हृदय में यदि द्वेष-भावना होती है तो दूसरों को हंसते देखकर भी मेरी खिल्ली उड़ाई जा रही है, यह सोचकर झगड़ने की इच्छा होती है। समस्याओं का कारण परिस्थितियाँ अथवा बाहरी वातावरण नहीं है, उनका कारण हमारे आंतरिक जीवन की विसंगतियाँ और विकृतियाँ हैं।

आंतरिक जीवन की मान्यताओं और आस्थाओं के अनुरूप ही, हम परिस्थितियों को सुखद या दुःखद बना लेते हैं। दृष्टिकोण के अनुसार हमारी जीवन-धारा बहती है। एक ही स्टेशन से चलने वाली रेलगाड़ी थोड़ी-दूर जाकर, पटरियाँ बदलने से दो विभिन्न दिशाओं में चल पड़ती है। पटरी बदलने वाले एक छोटे-से यंत्र का यह प्रभाव होता है, कि दिल्ली से चली एक गाड़ी कलकत्ता पहुँच जाती है और दूसरी उससे सर्वथा विपरीत दिशा में मुंबई पहुँच जाती है। इसी प्रकार दृष्टिकोण बदल जाने पर एक ही परिस्थिति किसी को हतोत्साहित कर देती है, तो किसी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।

हिमालय पर्वत से ही निकली सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ भिन्न सागरों में जाकर मिल जाती हैं, केवल इस कारण कि पहाड़ी की ढलान दो भिन्न दिशाओं में है। मनुष्य का दृष्टिकोण, उसकी आस्थाएँ और उनके विचार ही उसे दूसरे से भिन्न बताते हैं। कोई संत-महापुरुष बन जाता है, तो कोई चोर-डाकू। अन्यथा शरीर से

तो सभी व्यक्ति एक जैसे हैं। इसलिए स्थिर परिवर्तन विचारों, आस्थाओं और मान्यताओं के परिष्कार द्वारा किये जा सकते हैं।

पिछले समय विश्व के कतिपय राजनेताओं ने परिवर्तन का आधार दमन और बाहरी दबाव बताया है, किंतु वह नीति असफल ही सिद्ध हुई। जहाँ कहीं थोड़ी सफलता मिली भी है, वह इस कारण कि बाहरी दबाव बराबर बना रहा। उन दिखाई देने वाले परिवर्तनों के साथ यह संभावना तो बराबर जुड़ी रही है कि, बाहरी दबाव हटते ही लोग फिर अपने पहले रूप में आ जायेंगे। इसीलिए किसी विचार ने माओ के इस सिद्धांत का खंडन किया है कि—'क्रांति बंदूक की नली से निकलती है।' पहले भी बंदूक या रक्तपात के आधार पर परिवर्तन की जितनी प्रक्रियाएँ चलीं, सब असफल हुईं। कुछ देर के लिए श्मशान की-सी शांति भले ही छायी रही, परंतु जिन लोगों ने दमन किया और हिंसा की, अपने शत्रुओं या विपक्षियों को दबाया, बाद में उनके साथी ही उन्हें दबाने लगे। रक्तपात या हिंसा का चाव कुछ ऐसा है कि वह कोई शिकार न मिलने पर अपने ही साथियों को दबाने-फाड़ने लगता है।

भेड़िया हिंसक जानवर है। दूसरे जानवरों का शिकार कर वह अपना उदर-पोषण करता है, परंतु जब उसे कोई शिकार नहीं मिलता तो वह अपने ही स्वजातीय भेड़ियों को मारकर खाने लगता है। इसके विपरीत भेड़ें चारा-पानी न मिलने पर एक-दूसरे की गर्दन पर गर्दन रखकर मर जाती हैं। उनके मरने में जो सौम्यता है, वह भेड़ियों के आपसी संघर्ष में कहाँ ? हिंसा और रक्त का स्वाद भी भेड़ियों के रंग-ढंग सरीखा है। इसीलिए आंतरिक जीवन में परिवर्तन करने के बाद बदली गई परिस्थितियाँ अधिक सुखद, अधिक शीतल और अधिक स्थाई होती हैं।

समस्याओं का मूल समाधान आंतरिक परिवर्तन द्वारा ही संभव है। बाहरी दबाव से उन्हें हल करने की चेष्टा की गई, तो अनुकूल परिस्थितियाँ पाकर वे फिर खड़ी हो जायेंगी। बारिश क्ले दिनों में चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। गर्मी में वह घास सूख जाती है और लगता है कि घास खत्म हो गयी। किंतु फिर जब

वर्षा होती है तो दूब फिर हरी हो जाती है। चोरों, उठाईगीरों और ठगों को जेल में बंद कर समझ लिया जाय कि अब इन अपराधों की जड़ कट गई तो यह भ्रांतिपूर्ण होगा। कहने का अर्थ यह नहीं है कि अपराधियों को दंड ही न दिया जाय। दंड-प्रक्रिया आवश्यक और उपयोगी है, परंतु समस्या का मूल कारण तो दूसरा है। हो सकता है कि वह कारण बेकारी हो, चोर-ठगों को अपनी बेकारी, आवश्यकता-पूर्ति के साधनों का अभाव महसूस हो रहा हो। अन्यथा बुरे काम का बुरा परिणाम होगा, यह जानकर भी लोग अपराध कर्म में क्यों प्रवृत्त होने लगे ?

हमारे जीवन में व्याप्त समस्याओं और कठिनाइयों के कारण अलग-अलग नहीं हैं। उनका स्वरूप भिन्न-भिन्न भले हो, परंतु स्वरूप भिन्न होने से ही कारण अलग नहीं हो जाते। कब्ज, एलर्जी, अपच, खट्टी डकारें आना, वायुविकार होना—आदि बीमारियाँ पेट की खराबी से होती हैं। इन बीमारियों की जड़ एक ही है। अब तो जैसे-जैसे चिकित्सा विज्ञान में नयी-नयी शोध होती जा रही हैं और विभिन्न रोगों के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयोग हो रहे हैं, उनसे सिद्ध हो रहा है कि विभिन्न समस्याओं की जड़ पेट की खराबी है। पेट की खराबी अनुपयुक्त आहार-विहार और असंयमित रहन-सहन से आती है। पेट में पहुँचे और पचे अन्न से ही शरीर के अन्यान्य अंगों को पोषण मिलता है अथवा क्षति पहुँचती है और उसी कारण विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। मानवीय समस्याओं के संबंध में यदि विचार किया जाय तो इसी निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ेगा कि उनका कारण चिंतन पद्धति का दूषित होना ही है। उसी कारण परिस्थितियाँ विकराल लगती हैं तथा प्रतिकूलताएँ रास्ता रोककर खड़ी हो जाती हैं। विचारों में आई गिरावट और आंतरिक स्तर में आये पतन से ही व्यक्तिगत जीवन में असुविधाएँ तथा सामाजिक जीवन में अवांछनीयताएँ बढ़ती हैं। उस मूल कारण को दूर कर, चिंतन विकृति को हटाकर मनुष्य तथा समाज की समस्याओं को हल किया जा सकता है।



सेवा-धर्म का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप

व्याप्त समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय यह है कि उनके मूल कारण को ही हटाया जाए। जैसा कि देखा जाता है कि स्वरूप कुछ और रहता है और कारण कुछ और। उसी प्रकार विभिन्न समस्याओं का कारण हमारे चिंतन में बैठी विकृतियाँ तथा दृष्टिकोण में आयी गिरावट और विचारों में आयी विसंगतियाँ हैं। व्यक्तिगत समस्याओं का सामूहिक रूप ही सामाजिक समस्याएँ हैं और एक ही तरह के चिंतन दृष्टिकोण को ही जनमानस के प्रवाह की दिशा कहा जा सकता है। चिंतन और दृष्टिकोण को परिष्कृत किया जा सके तो बाह्य जीवन में भी सुखद परिवर्तन किया जा सकता है। यही स्थिति जनमानस के प्रवाह की है। उसे जैसी दिशा दी जायेगी, उसी स्तर के सामाजिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगेंगे।

मनुष्य की आस्थाएँ, उसकी भावनाएँ और उसकी मान्यताएँ ही उसकी नियंत्रणकर्त्री शक्तियाँ हैं। उसके विचार ही उसके मर्मस्थल हैं, उसकी आस्थाएँ ही उसके प्राण हैं और उन्हें प्रभावित करके ही मनुष्य तथा समाज को अभीष्ट दिशा दी जा सकती है। प्राचीन काल से अब तक के इतिहास पर दृष्टि दौड़ाने पर इस तरह के ढेरों उदाहरण मिल जायेंगे, जिनमें कि इन मर्मस्थलों को छूकर व्यक्ति के जीवन की दिशा ही बदल गई है।

पुराण साहित्य में नारद तो मानो लोगों की जीवन दिशा बदलने के ही प्रतीक हैं। हिरण्यकश्यपु असुर राजा था। उसके कारण सारे राज्य की जनता भयभीत थी और उसका कहा मानने के लिए विवश थी। नारद ने हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद को ही अपने पिता के अनुचित कार्यों का समर्थन न करने तथा स्वतंत्र विवेक से कार्य करने के लिए तैयार किया। सर्वविदित है कि प्रहलाद के विरोध और असहयोग ने ही आतताई हिरण्यकश्यपु के अत्याचारों का उन्मूलन किया।

ध्रुव को उनकी सौतेली माँ ने उनके पिता की गोद से उतार दिया था। इससे खिन्न और निराश ध्रुव अपनी बालबुद्धि से प्रतिशोध लेने की बात सोच ही रहे थे कि नारद ने उन्हें संसार के पिता-परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठने की दिशा दी। यों ध्रुव अधिक से अधिक अपने पिता के उत्तराधिकारी ही बन पाते, परंतु देवर्षि नारद ने उन्हें अमृतत्व प्राप्त करने की दिशा दी। यह ध्रुव के मर्मस्थल को छूकर उनके जीवन का कायाकल्प ही कहा जा सकता है।

वाल्मीकि अपने पूर्वार्ध की जीवनचर्या को बदलकर आस्थापूर्ण-सेवाधर्म की विधेयात्मक कार्य शैली को अपनाकर ही महर्षि बन सके।

इसी प्रकार अंगुलिमाल और आम्रपाली के जीवन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अंगुलिमाल भी भयंकर दस्यु था। गौतम बुद्ध ने उसकी आस्थाओं में परिवर्तन लाकर, उसे महाभिक्षु-महान संत बना दिया। आम्रपाली एक वेश्या थी और जीवन भर लोगों को वासना के मलीन पाप-पंक में लथेड़ने का काम करती रही। परंतु बुद्ध से क्षण-भर के वार्तालाप ने उसे श्रेष्ठ साध्वी बना दिया। आम्रपाली बुद्ध-धर्म का प्रचार करने वाली सर्वप्रथम महिला थी। इससे पूर्व महिलाओं को भिक्षु-संघ में सम्मिलित ही नहीं किया जाता था।

संन्यासी की व्यथा—

विचार और शिक्षण के द्वारा ऐसे व्यक्तित्व भी तैयार किये गये हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और योग्यता के बल पर समाज से पतन के कारणों को दूर किया। उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय समाज धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही मूढ़, संकीर्ण और अंधविश्वासी था। इन विडम्बनाओं की फलश्रुति जीवन के अन्य पक्षों पर भी होती, फलतः भारतीय समाज आस्थाओं और क्रिया-कलापों की दृष्टि से दीन-हीन, दरिद्र और निष्क्रिय ही बन पड़ा था। इस स्थिति को देखकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस रोया करते। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को इस दृष्टि से तैयार करना आरंभ किया। स्वामी विवेकानंद पूर्व जीवन में प्रतिभाशाली किंतु बेकार युवक थे। स्वामी

रामकृष्ण के शिक्षण ने उनकी जीवन-दिशा ही बदल दी और उन्होंने धार्मिक तथा सामाजिक पुनर्जागरण का ऐसा शंखनाद किया कि उसकी प्रतिध्वनि विदेशों में भी सुनाई दी। रामकृष्ण मिशन के रूप में स्वामी विवेकानंद ने ऐसी सेवा-प्रक्रिया आरंभ की, जो आज तक चली आ रही है।

इसी प्रकार भारतीय समाज का पुनर्जागरण करने के लिए, उसी युग में प्रज्ञा-चक्षु स्वामी विरजानंद जी ने स्वामी दयानंद को तैयार किया। तब भारतीय समाज में हजारों-हजार देवी-देवताओं, धर्म के नाम पर ठगी, भूत-प्रेत, पीर-औलिया आदि को ही धर्म समझा जाता था। धर्म के वास्तविक अर्थों को लोग भूलते जा रहे थे। धर्म के वास्तविक स्वरूप को आगे लाने और उस माध्यम से व्यक्ति का उत्कर्ष करने के लिए स्वामी दयानंद ने एक धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात किया। उसके फलस्वरूप समाज में ऐसी जागृति आयी कि लोग सच्चे धर्म को अपनाने के लिए कटिबद्ध होने लगे।

उस समय विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण बढ़ते जा रहे थे और भारतीय राजा आपसी लड़ाई-झगड़ों में ही उलझे रहते थे। पृथ्वीराज एक समर्थ और शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी को पराजित किया। इससे पूर्व उन्हें आक्रमणकारी का सामना करने की सूझती ही नहीं थी और वे अन्य राजाओं की तरह विलास-मौज में मस्त रहते थे। पृथ्वीराज की जीवन-दिशा तब बदली, जब कवि चंदवरदाई ने कुछ पद्य कह कर उनकी विचार तंत्री को झकझोरकर रख दिया।

विचार-पोषण और शिक्षण के द्वारा जीवन दिशा को मोड़ने तथा ऐतिहासिक उपलब्धियों में आधार-भूमिका निभाने के और भी कई उदाहरण हैं। हर्षवर्धन—जिसने बौद्ध धर्म को दिग्-दिगंत में फैलाया, आरंभ में राज्यसत्ता के कारण उत्पन्न होने वाली विकृतियों से ही ग्रस्त थे। उसके प्रभाव स्वरूप राज्य की जनता में वही विकृतियाँ और अधिक वीभत्स रूप में पनप रही थीं। उनकी बहन राजश्री ने हर्षवर्धन को समझाया और उनके जीवन को नयी दिशा

दी। हर्ष ने उस दिशा को अपनाया, फलस्वरूप बौद्ध धर्म के अग्रणी प्रचारकों में गिने जाने लगे।

महिलाओं की दूरदर्शिता—

संसार में कई महापुरुष ऐसे भी हुए जिन्हें उनकी माताओं ने दिशा दी और समाज में व्याप्त विकृतियों के निराकरण अथवा सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन करने योग्य क्षमताएँ विकसित कीं। मदालसा ने वेदशास्त्रों की प्रगतिशील व्याख्या तथा जन-साधारण को धर्म-अध्यात्म का ही सही स्वरूप समझाने के लिए अपने प्रत्येक पुत्र को उसी प्रकार शिक्षित किया। फलतः मदालसा का प्रत्येक पुत्र ब्रह्मवेत्ता बना और उन्होंने जनमानस में सत्प्रवृत्तियों-सद्भावनाओं का अभिवर्धन किया।

मध्यकाल की जनता के दीन-हीन बने रहने का एक कारण राजतंत्र की विकृतियाँ भी थी। शिवाजी की माता जीजाबाई ने जब लोगों की दीन-दुर्दशा को देखा, तो निश्चय किया कि वे अपने पुत्र को इस प्रकार प्रशिक्षित करेंगी कि वह धर्मराज्य की स्थापना कर सके। शिवाजी के पिता शाहजी एक मुगल नवाब के यहाँ नौकर थे। शिवाजी की माँ जीजाबाई यह नहीं सहन कर सकी, कि उनके पति की तरह उनका बेटा भी किसी आततायी के मातहत काम करे और रोजी-रोटी तक ही अपने जीवन का उद्देश्य सीमित रखे। अस्तु उन्होंने शिवाजी को इस ढंग से प्रशिक्षित करना आरंभ किया कि उनके हृदय में देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भर गयी और आगे चलकर उन्होंने अपने आपको मातृभूमि का सेवक और स्वतंत्रता के लिए लड़ने-मरने वाला वीर योद्धा बना लिया।

विनोबा की माँ ने अपने तीनों पुत्रों को इस प्रकार तैयार किया कि, विनोबा अपने तीनों भाईयों सहित समाज-सेवा के कार्य में जीवन अर्पित करने वाले महापुरुष बन गये।

इस प्रकार के और भी ढेरों उदाहरण हैं, जो विचार-पोषण, आस्थाओं के निर्माण और भावनाओं के शिक्षण द्वारा जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन प्रस्तुत करने के सिद्धांत को प्रभावित करते हैं।

अपने देश में प्राचीन काल के गुरुकुलों द्वारा यही आवश्यकता पूरी की जाती थी। उनमें सामान्य जीवन के लिए उपयोगी जानकारी शिक्षा के रूप में तो दी ही जाती थी, जीवन दिशा को निर्धारित करने तथा उस ओर अग्रसर करने का उपक्रम 'विद्या' द्वारा भी पूरा किया जाता था।

इन दिनों व्यक्ति की समस्याओं और संकटों का हल खोजने के लिए उसी स्तर का विचार-पोषण, आस्था, निर्माण और मान्यताओं के विकास की आवश्यकता है। विचार-शक्ति के उपयोग द्वारा न केवल व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आये हैं, वरन् जनमानस के प्रवाह की दिशा भी बदली है। गत ढाई हजार वर्षों में ऐसी ही कई धार्मिक क्रांतियाँ हुईं, जिन्हें विचार बल के द्वारा सफलता मिली। बुद्ध धर्म के अनुयायी प्रारंभ में थोड़ी संख्या में थे, उन्होंने प्रचार द्वारा बुद्ध धर्म का विस्तार किया। बुद्ध के जीवन काल में उनके अनुयायियों की संख्या तो बहुत ही कम थी, पर उनके बाद बौद्ध-भिक्षुकों ने जत्थे बनाकर एशिया के समस्त देशों का भ्रमण किया। फलस्वरूप एक हजार वर्ष में ही अधिकांश एशियायी जनता बौद्ध हो गयी। कुछ समय पूर्व तक चीन, तिब्बत, जापान, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, लंका आदि देश पूरी तरह बौद्ध थे। भारत के एक बड़े भाग में भी बौद्ध धर्म प्रचलित था। इस धार्मिक विजय का श्रेय बौद्ध दर्शन तथा उसकी प्रचार पद्धति को ही दिया जा सकता है। इन धर्म-प्रवर्तनों द्वारा जनमानस को एक नयी दिशा मिली और उनके व्यक्तित्व का स्तर ऊँचा उठा।

इसी प्रकार की विचार-क्रांति ईसाई धर्म के प्रचारकों ने भी की है। आज दुनिया में लगभग दो अरब ईसाई हैं—दो अरब अर्थात् संसार की आबादी का एक-तिहाई हिस्सा। ईसा के जीवनकाल में कुल बारह व्यक्ति उनके शिष्य बन सके। कई सौ वर्ष में ईसाई धर्म में कुल सौ व्यक्ति दीक्षित हुए। लेकिन इसके बाद सेंटपाल ने ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए ऐसा प्रचारतंत्र खड़ा किया कि विगत चार-पाँच वर्ष की अवधि में ही संसार के

एक-तिहाई हिस्से में ईसाई धर्म छा गया। यह प्रचार युद्ध के बल पर नहीं, विचार-विस्तार के आधार पर संभव हो सका।

परिवर्तन और परिष्कार—

भारत तो इस प्रकार की धार्मिक-क्रांतियों का गढ़ ही रहा है। यहाँ विचारों के द्वारा ही संस्कृति का संदेश और धर्म, अध्यात्म की सामयिक परिभाषाएँ की जाती रही हैं। बुद्ध ने वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' की रूढ़ मान्यता को निरस्त किया, तो आगे चलकर बौद्ध दर्शन में आये शून्यवाद की विकृति को शंकराचार्य ने मिटाया। 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' के आधार पर जीवन की कठोर यथार्थताओं को भुलाया जाने लगा तो गुरु नानक, गुरु गोविंदसिंह आदि संत महापुरुषों ने जीवन की समस्याओं से संघर्ष की प्रेरणा दी। यह सारे कार्य विचार-प्रसार द्वारा ही संपन्न किये जाते रहे।

अन्य देशों में भी समय-समय पर इस प्रकार की धार्मिक क्रांतियाँ होती रहीं और जन-मानस का स्तर ऊँचा उठाती रहीं। चीन में असभ्य और अशिक्षित लोगों को नैतिकता, मानवता का संदेश देने के लिए कन्फ्यूशस प्रणीत एक वैचारिक आंदोलन ही चल पड़ा था। बुद्ध के समकालीन कन्फ्यूशस के विचारों ने तब जन-साधारण से लेकर राजसत्ता तक को प्रभावित किया।

पंद्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी में ईसाई धर्म में कई विकृतियों और अंध-परंपराओं से ग्रस्त हो चुका था। फलस्वरूप लोग धर्म के वास्तविक स्वरूप को भुलाकर चिह्न पूजा को ही सब कुछ समझने लगे। स्पष्ट ही उसका प्रतिफल, नैतिक पतन और तज्जनित समस्याओं के रूप में सामने आया। मार्टिन लूथर नामक एक विद्वान ने इसके विरुद्ध वैचारिक क्रांति का शंखनाद किया था। फलस्वरूप केवल ईश्वरीय सत्ता को ही सर्वोच्च मानने वाले विचारशील व्यक्तियों का प्रगतिशील वर्ग तैयार हुआ। अन्यथा उससे पूर्व धर्म-गुरुओं के प्रत्येक आदेश को बिना किसी विवेक के स्वीकार कर लेने की जड़ता ईसाई—मतावलंबियों में प्रवेश कर चुकी थी और उन्हें अपने शिकंजे में अच्छी तरह कस चुकी थी।

आधुनिक सभ्यता के विकास की प्रक्रिया जब से प्रारंभ हुई, वह भी विचार क्रांति के फलस्वरूप ही थी। उस समय यूनान कला और संस्कृति का केंद्र था। इस्तंबोल से कुछ यूनानी विचारक इटली चले गये और वहाँ से अपने साथ कला व संस्कृति की विचारधारा भी साथ लेते गये। उन्हीं दिनों प्रेस का भी आविष्कार हुआ, फलस्वरूप पुस्तकों सर्वसाधारण के लिए भी सुगमता से उपलब्ध होने लगीं। यूनानी विचारकों ने अपने विचार पुस्तकों के रूप में छपवाकर जन-जन तक पहुँचाना आरंभ किया, फलस्वरूप एक अभूतपूर्व जन-जागृति आयी। विश्व इतिहास में इस जन-जागरण को 'रिनेसन्स' के नाम से जाना जाता है। पुस्तकों के प्रचार से ही लोगों ने स्वतंत्र दृष्टि से विचार करना सीखा और एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ, जो स्वतंत्र रूप से अपने विवेक के आधार पर किसी बात को अपनाने या न अपनाने का निर्णय लेता था।

सन् १७८६ में फ्रांस की राज्य क्रांति का आधार भी वैचारिक परिवर्तन से ही पुष्ट हुआ। उस समय फ्रांस की जनता कई समस्याओं और राष्ट्रीय संकटों से त्रस्त थी। इसका कारण लुई सोलहवें का स्वेच्छाचारी शासन ही समझा गया। उसे न जनहित का ख्याल था और न जन-सुविधाओं को चिंता। जनता उसके अत्याचारों को चुपचाप सहती जा रही थी। उस समय फ्रांस की जनता राजसत्ता को बदलने की बात सोच भी नहीं सकती थी। मिराबो, जिरोदिस्टो, मारा, दाँते आदि विचारकों और जन-नेताओं ने परिवर्तन का नारा दिया तथा बताया कि बिना यह परिवर्तन किये आसन्न समस्याओं के समाधान का और कोई उपाय नहीं है। फल-स्वरूप जनता में ऐसी चेतना उत्पन्न हुई कि सम्राट लुई के स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन का अंत हो गया।

राज्यक्रांतियों का आधार-परिणाम—

कुछ शताब्दियों पूर्व तक संसार के सभी देशों में राजतंत्र था। यूनानी दार्शनिक सुकरात के शिष्य प्लेटो ने प्रथम बार जनतंत्र की कल्पना की तथा उसके सिद्धांतों को अपनी पुस्तक 'रिपब्लिक'

में विश्लेषित किया। रूसो आदि विचारकों ने इस सिद्धांत की व्याख्या की और लोगों को बताया कि राजतंत्र के स्थान पर जनतंत्र की स्थापना की जाय। उसका स्वरूप, व्यावहारिक कार्यक्रम तथा प्रतिफल भी उन्होंने लोगों को बताया। यह विचार जनमत को प्रिय लगा; फलस्वरूप एक के बाद एक राजक्रांतियाँ होती चली गईं। जनता विद्रोही बनी और राजतंत्रों को उखाड़कर उनके स्थान पर प्रजातंत्र स्थापित कर लिए। योरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका के अनेक देशों में एक के बाद एक प्रजातंत्र का उदय होता चला गया। जनता ने सशक्त राजसत्ताओं को जिस बलबूते पर पलट डालने में सफलता पाई, वह उनकी विचारणा ही थी। प्रजातंत्र की उपयुक्तता पर विश्वास करके साधारण लोगों ने राजतंत्र उलट दिए, इसे विचार-शक्ति का विजय की कहा जाएगा।

एक दूसरी राजनैतिक विचार-क्रांति पिछले ही दिनों हुई है। कार्लमाक्स प्रभृति दार्शनिकों ने बताया कि साम्यवादी सिद्धांत ही जनता के कष्टों को दूर करके उसकी प्रगति का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। उन्होंने साम्यवाद का स्वरूप आधार और प्रयोग प्रस्तुत किये, जनता ने उसे समझा। यह विचारधारा लोकप्रिय हुई, विचारशील लोगों की दृष्टि में वह उपयुक्त जँची। फलस्वरूप उसका विस्तार होता चला गया। आज संसार की एक चौथाई से अधिक जनता इसी साम्यवादी शासन-पद्धति को अपना चुकी है और एक तिहाई जनता ऐसी है जो उस विचारधारा से प्रभावित हो चली है। कोई युद्ध इतनी जनता को इतने कम समय में, इतनी सरलतापूर्वक इस तरह की समस्या का समाधान करने को तैयार नहीं कर सकता था, जितनी इन विचार-क्रांतियों के द्वारा सफलता उपलब्ध कर ली गई।

जन-स्तर पर वैचारिक-क्रांति का सफल आयोजन हम भारत में बौद्ध काल के समय से ही देख सकते हैं। बौद्धमत का प्रचार किस प्रकार हुआ, इसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। उस समय ईश्वर को मनोकामना पूरी करने वाली शक्ति भर समझा जाता था। स्थिति यह थी कि इन अंधविश्वासों के कारण लोग निठल्ले और निकम्मे ही बनते जा रहे थे, फलस्वरूप व्यक्ति और समाज की प्रगति अवरुद्ध पड़ी

थी। बुद्ध ने इस स्थिति को उलटने के लिए विवेकशीलता का उपदेश दिया और उनके अनुयायियों ने यह संदेश जन-जन तक पहुँचाकर व्यापक परिवर्तन प्रस्तुत किया, उसके लिए न लड़ाइयाँ लड़ी गयीं और न लोगों को डरा-धमका कर, दवाब डालकर अपनी बात मनवायी गयी। कुमारजीव पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने चीन जाकर वहाँ की जनता को बौद्ध धर्म का, विचारशीलता का संदेश दिया तथा बुद्ध की शरण में जाने का 'बुद्धं शरणं गच्छामि' का मंत्र सिखाया। उनके इस बौद्धिक अभियान के फलस्वरूप ही चीन में जन-साधारण से राज्याधिकारियों और राजाओं-शासकों तक बौद्धमत का प्रचार हो सका। अशोक की पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र ने अपने-अपने पैतृक उत्तराधिकारों की परवाह न करते हुए लंका में जाकर वैचारिक क्रांति का सूत्रपात किया। उन्होंने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि राज्य करते हुए वे लोगों को उतना नहीं सुधार सकते, जितना कि लोगों के पास जाकर विचार-परिवर्तन के प्रयास करते हुए उन्हें सुधार सकते हैं। इसी निष्ठा से प्रेरित होकर उन्होंने लंका सहित कई देशों की यात्रा की।

विचार-क्रांति के लिए प्रयत्न करने वाले और उसके माध्यम से समाज में अभीष्ट परिवर्तन की स्थिति निर्मित करने वाले महापुरुषों में सुकरात का नाम भी अग्रणी रहेगा। सुकरात ने ग्रीस की जनता को 'अपने को जानो' मंत्र दिया तथा उसके प्रकाश में आत्म-निरीक्षण एवं व्यक्तित्व-निर्माण की प्रेरणा दी। सुकरात का समकालीन ग्रीक समाज कषाय-कल्मषों से ग्रस्त था। सुकरात के विचार इतने प्रखर होते थे कि उनका तुरंत प्रभाव हुआ। निहित स्वार्थी लोगों को जब अपने स्वार्थों पर आँच आती दिखाई दी तो उन्होंने सुकरात को मरवा दिया। सुकरात की हत्या भले ही कर दी गयी हो, परंतु उनके विचार इतने पैसे थे कि आगे चलकर उसी परंपरा में अरस्तू, प्लेटो जैसे मनीषी उत्पन्न हुए और ग्रीक समाज का नवीन कायाकल्प हो सका।

आधुनिक युग में टॉल्स्टॉय, कागाबा, लार्ड बेडेन पॉवेल, एलिजाबेथ फ्राई, मार्गरेट सेंगर, प्रिस क्रोपाटकिन, हैरियट स्टो तथा भारत के महात्मा गाँधी, तिलक, राजाराममोहन राय, ईश्वरचंद्र

विद्यासागर, विनोबा, हृदयनाथ कुंजरु डॉ. हेडगेवार जैसे महापुरुषों ने विचार-क्रांति द्वारा समाज के पुनर्निर्माण की कल्पना को साकार रूप देने के लिए प्रयत्न किये।

रूस में साम्यवाद की स्थापना और जन साधारण के शोषण की समाप्ति का श्रेय लेनिन को दिया जाता है, परंतु समता, न्याय और प्रत्येक नागरिक को रोजगार के अवसर प्राप्त करने का अधिकार देने के लिए, विचार-बीज टॉल्स्टॉय और प्रिंस क्रोपाटकिन ने ही बोना आरंभ किये थे। टॉल्स्टॉय ने रूसी जनता को शिक्षित और सभ्य बनाने के लिए एक प्रबल वैचारिक आंदोलन चलाया, जिसके सत्परिणाम आगे चलकर समय-समय पर दिखाई दिये।

एक समय था, जब जापान के लोगों को न ठीक ढंग से रहना आता था और न सही तरह से गुजर-बसर करना। वहाँ के एक विश्वविद्यालयीन छात्र ने अपने देश के नागरिकों को सभ्य सुसंस्कृत और संपन्न बनाने के लिए विचार अभियान छेड़ने का निश्चय किया। उस छात्र का नाम था कागावा, जिन्हें जापान में वही सम्मान प्राप्त है, जो अपने देश में महात्मा गाँधी को मिला है। कागावा ने पुस्तकें लिखीं, भाषण दिये, जन-संपर्क किया और लोक सेवियों की एक सेना खड़ी की। फलस्वरूप वहाँ एक ऐसा वातावरण बना, जिसके परिणामस्वरूप भारत के प्रांत से भी छोटे देश जापान ने अपनी प्रगति से दुनिया भर को चमत्कृत कर रख दिया।

मानवीयता की प्रतिष्ठा—

संसार भर में अब से कुछ दशाब्दियों पूर्व तक कैदियों के साथ बड़ा अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उन्हें मनुष्य तो समझा ही नहीं जाता था, पशु से भी बदतर दंड और कठोर यातनाएँ उन्हें दी जातीं। यह सब देखकर एलिजाबेथ फ्राई नामक एक महिला की आत्मा दहल उठी और कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार करने की आवश्यकता का इतना सशक्त प्रतिपादन किया कि हजारों व्यक्ति उनकी माँग के समर्थन में उठ खड़े हुए। अंततः सरकार को भी यह स्वीकार करना पड़ा और एक के बाद दूसरे देशों में कैदियों को भी

मनुष्य समझा जाने लगा तथा उनसे मनुष्यता का व्यवहार आरंभ हुआ। फलस्वरूप सारे संसार में कैदियों की दशा सुधरी।

अमेरिका की सामान्य गृहिणी हैरियट-स्टो का हृदय भी वहाँ के गुलामों की दुर्दशा देखकर पिघल उठा। स्टो ने लेखनी उठायी और एक उपन्यास लिखा—‘केबिन ऑफ दी अंकल टॉम’ (टॉम काका की कुटिया), इस उपन्यास में गुलामों की पीड़ा और उनकी अनुभूतियों, भावनाओं, प्रतिक्रियाओं का इतना मार्मिक चित्रण किया गया कि समूचे अमेरिका राष्ट्र में विचारशील व्यक्ति गुलामों की दशा सुधारने की आवश्यकता समझने लगे। अमेरिका में गुलामों की स्थिति पहले से जितनी भी ठीक है, उस स्थिति का स्रोत ‘टॉम काका की कुटिया’ और उसकी लेखिका ‘हेरियट स्टो’ ही है।

अब से अस्सी-नब्बे वर्ष पूर्व तक अमेरिका में स्त्रियों की दशा भी बड़ी बुरी थी। बहु-प्रजनन से उनका स्वास्थ्य तो चौपट होता ही था, सामाजिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि वे अपने मानवीय अधिकारों का उपयोग कर सकें। पहली बार मार्गरेट सेंगर ने जन्म निरोध तथा परिवार नियोजन की आवश्यकता लोगों को समझायी और संसार के कई देशों में घूम-घूम कर सीमित परिवार का प्रचार किया। अब तक तो लोग समझते थे कि संतान ईश्वर की देन है। उसका जन्म किसी प्रकार रोका नहीं जा सकता। पर मार्गरेट सेंगर ने अपने तर्कों तथा प्रतिपादनों से इस मान्यता को भस्मीभूत कर दिया। आज न केवल अमेरिका व यूरोपीय देशों में वरन् संसार भर में परिवार छोटा ही रखना उचित समझा जाता है।

महिलाओं की दशा यों सुधरी—

इंग्लैंड में महिलाओं को उन्नीसवीं शताब्दी तक दूसरा दर्जा प्राप्त था, न उन्हें नागरिक अधिकार थे, न वे सम्मानप्रद जीवन जी सकती थीं। वहाँ की एक विचारशील महिला मैडम पैक्सवर्थ ने इस अन्याय का उन्मूलन करने के लिये ‘वीमेंस सोशल एंड पोलिटिकल यूनियन’ नामक संस्था का गठन किया और नारी स्वातंत्र्य तथा

समानता का ऐसा प्रचंड विचार-प्रवाह उत्पन्न किया कि वहाँ की स्त्रियों की दशा कुछ ही वर्ष बाद बदलने लगी।

अठारहवीं-उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय स्त्रियों की स्थिति निर्जीव पुतले से अधिक नहीं थी। उस समय बालविवाह से लेकर सती प्रथा तक कितनी ही कुरीतियों के कारण उनका जीवन दुर्वह बोझ बना हुआ था। छोटी उम्र में अघेड़ आयु के व्यक्तियों से उनका विवाह कर दिया जाता और उनके पति जब मर जाते, तो उन्हें जबरन पति के साथ जला दिया जाता। नारियों की इस दुःस्थिति पर ध्यान गया राजा राममोहन राय का और उन्होंने सतीप्रथा के विरुद्ध ऐसा वातावरण बनाया कि सतीप्रथा के खिलाफ न केवल कानून बन गया, वरन् ऐसे विचारशील व्यक्ति भी आगे आये जो इस कुरीति का विरोध करने लगे। एक अवांछनीय, अनैतिक आसुरी कुरीति का अंत राजा राम मोहनराय द्वारा छेड़ी गयी विचार-क्रांति के परिणामस्वरूप हो सका। यद्यपि सतीप्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार करने में अन्य नेताओं ने भी योगदान दिया, पर राजा राममोहन राय ने ही उस अभियान को सुनियोजित रूप दिया।

विधवा विवाह कहीं-कहीं आज भी तिरस्कार की दृष्टि से देखे जाते हैं, परंतु एक समय था जब विधवा विवाह की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लाखों युवतियाँ यौवनकाल में ही विधवा हो जातीं और अपना शेष जीवन रोते-झींकते अनेकानेक प्रतिबंधों का पालन करते हुए जीती थीं। उनके लिये हँसना तक वर्जित था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने साहित्य और विचार के माध्यम से विधवा विवाह का जो समर्थन आरंभ किया, तो लोगों पर से परंपरा भक्ति और रूढ़िवादिता की जकड़ धीरे-धीरे ढीली होने लगी। स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी आदि संत-महापुरुषों ने भी इस विचार को आगे बढ़ाया और जन-आस्थाओं में स्थापित करने के लिए प्रयत्न किये।

केवल विचारों के प्रचार द्वारा विश्व में ऐसी कई संस्थाएँ अस्तित्व में आयीं और जिनके कारण महत्त्वपूर्ण काम होने लगे। उदाहरण के लिए अब तक समझा जाता था कि बच्चे समाज के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, उन्हें कोई रचनात्मक जिम्मेदारी नहीं

सौपी जा सकती। लार्ड बेडेन पॉवेल ने सोचा कि क्या सचमुच समाज सेवा के लिये बच्चों का उपयोग नहीं किया जा सकता ? काफी विचार-मंथन के बाद मस्तिष्क में बालचर संस्था की रूपरेखा उभरने लगी। इस विचार को उन्होंने अनेक प्रतिभाशाली व्यक्तियों तक पहुँचाया और 'स्काउटिंग'—बालचर संस्था का स्वरूप सामने आने लगा। मेलों में लोगों का पथ-प्रदर्शन करने से लेकर सामूहिक संकट और दुर्घटनाओं के समय दस-दस, बारह-बारह वर्ष के बच्चे जो काम करते हैं, वह देखते ही बनता है। अपने देश में भी श्री हृदयनाथ कुंजरू ने इस संस्था का प्रचार किया। लोग इसका अन्य देशों में प्रचलित स्वरूप ही अपनाना चाहते थे, परंतु हृदयनाथ कुंजरू ने समझाया कि प्रचलित रूप अपने देश के लिए अव्यावहारिक है, क्योंकि उस समय देश पराधीन था।

भारत में विचारों के द्वारा समाज में परिवर्तन का क्रम मध्यकाल में चलाया गया। स्वामी रामानुज, चैतन्य महाप्रभु, कबीर, दादू आदि ऐसे संत हुए, जिन्होंने अछूतों को भी मनुष्य मानने और उन्हें मानवीय अधिकार देने के लिए धर्ममंच का सहारा लिया। तब अछूतों के मुँह से कोई भगवान का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता था। तत्कालीन संत-महापुरुषों ने "भगवान पर सबका अधिकार" के सिद्धांत का प्रचार अपने भजनों और कीर्तनों द्वारा किया। फलस्वरूप उपेक्षित और तिरस्कृत अछूत निम्न जाति के लोगों में भी आत्मविश्वास की भावना जागी।

प्राचीनकाल से चले आ रहे कुंभपर्व, सोमवती-स्नान, नियत समय पर, नियत स्थानों पर मनाये जाने वाले पर्व भी समाज में विचार चेतना जाग्रत करने के लिए किये जाने वाले आयोजन थे। इनका उद्देश्य यही था कि लोग सद्ज्ञान के प्रकाश में अपनी समस्याओं को देखें व सुलझाएँ। ढाई-ढाई वर्ष के क्रम से हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में पड़ने वाले कुंभ पर्व विशुद्ध रूप से इसी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। उनमें देश भर के विद्वान, विचारक इकट्ठे होते थे। जनता भी बड़ी संख्या में इकट्ठी होती थी और संत, महात्मा ऐसे कार्यक्रम चलाते थे, जिनसे लोगों को सही दिशा प्राप्त हो। सोमवती

अमावस्या पर स्नान, पर्व, ग्रहण, संक्रांति तथा ऐसे पर्व जिनमें कि दूर-दूर से लोग आते थे, इसी स्तर के आयोजन थे। वर्तमान काल में विभिन्न संस्थाओं के जो अधिवेशन, सम्मेलन आदि होते हैं, उनसे भी विचार सानिध्य की ही आवश्यकता पूरी होती है।

अहिंसक परिवर्तन—

संसार के कई देशों में मजदूरों और किसानों की समस्याएँ संघर्ष द्वारा सुलझाने का प्रयास किया गया। साम्यवाद की स्थापना के लिये की गयी क्रांतियों में बड़ा रक्तपात हुआ। मजदूरों और किसानों ने मिलकर पूँजीपतियों और भूस्वामियों को मार डाला तथा उनके स्थान पर स्वयं मालिक बन बैठे। इस परिवर्तन में हिंसा का ही सहारा लिया जाता था। सन् १९५१ में उसी तरह के परिवर्तन के लिए तेलंगाना में हिंसा का सहारा लिया जाने लगा। तब संत विनोबा भावे आंध्र में ही थे, उन्होंने अहिंसा की शक्ति द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन का रास्ता निकाला और भूदान आंदोलन का सूत्रपात किया। आंदोलन का स्वरूप यह था कि जिन लोगों के पास आवश्यकता से अधिक जमीन थी, उन्हें दान देने की प्रेरणा दी जाती और वह जमीन भूमिहीनों में बाँट दी जाती। विनोबा जी का यह कार्यक्रम इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि कुछ समय में ही लगभग तीन लाख एकड़ जमीन भूदान में प्राप्त हुई। विनोबा जी ने भूदान के कार्यक्रम का इतना व्यापक प्रचार किया कि उन्हें २६ लाख १७ हजार एकड़ जमीन भूदान में प्राप्त हुई। यह उपलब्धि केवल विचारों की प्रबलशक्ति के सदुपयोग द्वारा ही प्राप्त हुई थी।

इसके पूर्व भी लोकमान्य तिलक और महात्मा गाँधी ने शांतिपूर्ण प्रयासों द्वारा भारत को स्वतंत्रता दिलाकर संसार को हतप्रभ कर दिया था। लोकमान्य तिलक ने 'मराठा' और 'केसरी' अखबारों द्वारा भारतीय जनता में स्वतंत्रता की चेतना फूँकी और उनकी प्रेरणाओं ने ही "स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है" के मंत्र को भारतीय जनता के मन में उतारा। महात्मा गाँधी ने भी जनसंपर्क, सभा, भाषण

और दौरों से प्रेरणा देने के साथ-साथ नवजीवन, यंगइंडिया और हरिजन सेवक पत्रों द्वारा जनमानस में स्वातंत्र्य चेतना फूँकी। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरणा और उसके लिए किये जाने वाले प्रचार द्वारा ऐसा वातावरण बनकर तैयार हुआ कि अँग्रेज सरकार को यह देश छोड़ने के लिए बाध्य होना ही पड़ा। गाँधीजी और तिलक आदि नेताओं ने अपनी पैनी दृष्टि से तब यह अनुभव कर लिया था कि इन दिनों व्याप्त समस्याओं का कारण वस्तुतः पराधीनता ही है।

विश्व इतिहास पर यदि दृष्टिपात करें तो यही प्रतीत होगा कि जितने भी सुधार हुए हैं, भले ही वे व्यक्तिगत हों अथवा सामाजिक स्तर पर, केवल विचारों के माध्यम से ही संभव हो सके हैं। बाहरी नियम बनाकर अथवा सामाजिक दबाव डालकर कुछ कार्य पूरे भले ही कर लिये जाएँ, परंतु आंतरिक स्थिति में यदि सुधार नहीं हुआ; लोगों की आस्थाओं का स्पर्श कर उन्हें बदलने का प्रयास नहीं किया गया तो सारे प्रयास असफल और प्रभावहीन सिद्ध होंगे, क्योंकि बाहरी दबाव से आंतरिक स्थिति तो नहीं बदल जाएगी। उपरोक्त विचार-क्रांतियों में लोगों की उसी आंतरिक स्थिति को बदलने का प्रयास किया गया और अभीष्ट सफलता मिली।

इन दिनों जिस व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है वह पिछले सभी परिवर्तनों और विचार-क्रांतियों से अधिक महत्त्वपूर्ण है। मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का लक्ष्य लेकर प्रत्येक लोकसेवी को चलना चाहिए तथा उसके लिए अपने निकटवर्ती जनों की प्रेरणा-प्रोत्साहन देने से लेकर, व्यापक स्तर पर उन प्रवृत्तियों का विकास करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। विचार-क्रांति, दृष्टिकोण का सुधार, भावनात्मक-परिष्कार और आस्थाओं के शोधन—जो भी नाम दें, आशय एक ही है। मनुष्य को नियंत्रित और संचालित करने वाली चेतना को प्रभावित करना तथा उसे अभीष्ट दिशा देना। तभी सामाजिक सुख-शांति की स्थापना हो सकेगी। ये कार्य राजदंड अथवा राजनियमों से नहीं हो सकते, न उन प्रवृत्तियों और अवांछनीय व्यक्तियों की निंदा करने से ही काम बन सकता है। राजदंड, राज-नियम और सामूहिक

निंदा आवश्यक है, उनकी उपयोगिता भी कम नहीं। फिर भी वह समाज में व्याप्त विकृतियों और अवांछनीय प्रवृत्तियों का पूर्ण उपचार नहीं है। समाज का नव-निर्माण तो तभी संभव है, जब उसमें रहने वाले मनुष्यों का आंतरिक स्तर सद्विचारों और सद्भावनाओं से भरापूरा हो। राजनियमों के प्रति सम्मान, निंदा के कारण भय और समाज के प्रति निष्ठा भी तो ऐसे व्यक्तियों में ही होती है, जिनके हृदय उदार और विचार उज्ज्वल हों।

मनुष्य का जीवन और संसार का क्रम कर्मफल सिद्धांत के अनुसार चलता है। अच्छे कर्मों का परिणाम सुख-शांति के रूप में और बुरे कर्मों का फल कष्ट-कठिनाई और दुःख-क्लेश के रूप में मिलता है अर्थात् कष्टों की जड़ कुकर्म ही होते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। संसार में जिस परिमाण में कुकर्म बढ़ेंगे, दुःख-क्लेश भी उसी मात्रा में बढ़ते जायेंगे। यदि संसार में सुख शांति की स्थापना वांछनीय है तो पहले कुकर्मों को हटाना होगा। कुकर्मों को हटाने, घटाने और बढ़ाने का एक ही उपाय है कि मनुष्य की विचारधारा में आदर्शवाद का समावेश किया जाय। मस्तिष्क को घेरे रहने वाली अनैतिक एवं अवांछनीय विचारधारा ही कुकर्मों को जन्म दिया करती है। यदि विचार सही और शुद्ध हों तो मनुष्य से कुकर्म बन पड़ने की संभावना नहीं है।

विचारों की बुराई ही बुरे कर्मों के रूप में प्रकट होती है। जिस प्रकार हिमपात का कारण हवा में पानी का होना है—यदि हवा में पानी का अंश न हो तो बर्फ गिर ही नहीं सकती, पानी ही तो जम कर बर्फ बनता है। इसी प्रकार विचारों में बुराई का अंश कुकर्म बनकर प्रकट होता है और अच्छे विचारों सत्कर्मों के रूप में सामने आते हैं। मनुष्य के कर्म उसके विचारों का ही स्थूल रूप होते हैं। यदि उन विचारों को ठीक किया जा सके, तो सर्वग्राही विकृतियों का भी उन्मूलन किया जा सकता है।



ज्ञान यज्ञ का व्यावहारिक स्वरूप

पिछले पृष्ठों पर बताया जा चुका है कि पतन का निराकरण ही सर्वोत्कृष्ट सेवा है। उसी से पीड़ा का निवारण तथा सुविधाओं का संवर्धन हो सकता है और सेवा-साधना से पतन का निराकरण तभी संभव है, जब व्यक्ति में आयी विकृतियों और अवांछनीयताओं का उन्मूलन हो जाय। सेवा की उमंग है और सर्वोत्कृष्ट रूप की सेवा करने के लिए लगन है, तो इसी स्तर का सेवा कार्य आरंभ करना और चलाना चाहिए।

प्रश्न उठता है कि इस स्तर की सेवा-साधना किस प्रकार की जाय ? मनुष्य के स्तर में आये हुए पतन को किस प्रकार मिटाया जाय तथा उसे कैसे उत्थान की ओर अग्रसर किया जाय ? स्पष्ट है कि यह कार्य विचारों और भावनाओं के परिष्कार द्वारा ही किया जा सकता है। उनकी शुद्धि उनके संवर्धन पर ही मनुष्य की सुख-शांति और समुन्नति निर्भर है। इसके लिए विचार-परिष्कार की प्रक्रिया चलानी चाहिए तथा उत्कृष्ट और प्रगतिशील सद्विचारों को जन-जन तक पहुँचाना चाहिए। यह सच है कि समाज में जो कुछ भी अशुभ और अवांछनीय दिखाई देता है, उसका कारण लोगों के व्यक्तिगत दोष ही हैं। उन दोषों की उत्पत्ति व्यक्ति की दूषित विचारणाओं तथा विकृत दृष्टिकोणों से होती है। भोग प्रधान आकांक्षाएँ रखने से मनुष्यों की अतृप्ति बढ़ जाती है और वे अधिक सुख-सामग्री की माँग करते हैं। स्वार्थ के कारण ही छीना-झपटी और चालाकी-बेईमानी बढ़ती है। श्रम से बचने और मौज करने की इच्छाएँ जब तीव्र हो जाती हैं, तो उचित-अनुचित का विचार छोड़कर लोग कुमार्ग पर लगते हैं, जिनका परिणाम उनके स्वयं के लिए ही नहीं, सारे समाज के लिए भी घातक होता है। इस अदूरदर्शितापूर्ण प्रक्रिया अपनाने से ही संसार में सर्वत्र दुःख-दैन्य का विस्तार हुआ है।

व्याप्त विकृतियों के कारण सभी क्षेत्रों में आये पतन का निवारण करने के लिए मानवीय दृष्टिकोण में परिवर्तन करना

आवश्यक है और उस परिवर्तन के लिए साथ मनुष्य का जीवन दर्शन भी ऊँचा बनाया जाना चाहिए। पतित भावनाओं वाले व्यक्ति के लिए लांछना एवं आत्म-ग्लानि की व्यथा कष्टदायक नहीं होती, वह निर्लज्ज बना कुकर्म करता रहता है। लोकनिंदा और परलोक का भी उसे भय नहीं होता। ऐसे लोगों से उन श्रेष्ठ कार्यों की आशा नहीं की जा सकती, जो विश्व शांति के लिए आवश्यक है। गंदी प्रकृति के मनुष्य गंदे मौहल्ले में, गंदे घरों में, दुर्गंधपूर्ण जलवायु में, गंदे साधनों और गंदी परिस्थितियों में प्रसन्नतापूर्वक रह लेते हैं। पर जिसे स्वच्छता प्रिय है, वह गरीब होते हुए भी गंदगी स्वीकार न करेगा। इसी प्रकार जिनका दृष्टिकोण निकृष्ट है, उन्हें न लोक-लज्जा की परवाह होती है और न आत्मग्लानि की। वे दुष्टतापूर्वक दुष्कर्म करते रहते हैं और इसी में अपना बड़प्पन मानते हैं। इस स्थिति का परिवर्तन करके धर्म, आत्म-गौरव और पुण्य, परमार्थ की महत्ता को अनुभव करने के कर्तव्य की मनोभूमि बनाई जानी चाहिए। जब लोक-मानस का स्तर भावनात्मक दृष्टि से ऊँचा उठेगा तो ही जीवन में श्रेष्ठता आयेगी और उसी के आधार पर विश्व शांति की मंगलमय परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी।

प्राचीनकाल में किसी भी महापुरुष का विचार बड़े समय में और बड़े प्रयत्नों के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचता था। फलस्वरूप अभीष्ट परिवर्तन होते भी देर से थे। अब संचार साधनों का अभाव नहीं है। प्रेस और प्रकाश उपलब्ध हैं, प्रचार के पुराने तरीकों में भी सुधार हो चुका है, फलस्वरूप सद्विचारों का प्रचार कोई दुःसाध्य या असंभव कार्य नहीं रह गया।

सद्विचारों की प्रतिष्ठा तब भी कष्टदायक होती थी, जबकि विचारशीलता का अभाव होता। लेकिन विचारशीलता का अभाव नहीं है। कमी है तो बस एक कि लोगों के पास विचारों की दिशा नहीं है। आज का मनुष्य सभ्यता के क्षेत्र में विकास करने के साथ-साथ इतना विचारशील भी बना है, कि यदि उसे तथ्य समझाएँ जाएँ तो वह उन्हें समझने और मानने के लिए तैयार हो जाता है, लोकसेवियों को इस प्रयोजन के लिए ही घर-घर जाना

चाहिए और लोगों की आस्थाएँ-मान्यताएँ तथा विचारणाएँ परिष्कृत करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

प्रत्येक व्यक्ति इतना बुद्धिमान और प्रतिभाशाली नहीं होता कि वह तथ्यों को सही-सही समझा सके और किस परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए ? इसका मार्गदर्शन कर सके। स्वयं अपने लिए ही तथ्यों को समझने और तदनुसार कोई निष्कर्ष निकालने की सामर्थ्य सभी व्यक्तियों में नहीं होती, तो फिर दूसरों को कैसे समझाया, मार्गदर्शन दिया जा सकता है ? अतएव विचार-क्रांति का व्यावहारिक स्वरूप ज्ञानदर्शन के रूप में ही अपनाना पड़ता है। प्रेरक विचारों और सृजनशील प्रेरणाओं को जन-जन तक इस तरह पहुँचाया जाय, सर्वसाधारण को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाय कि जनमानस में शुभ संभावनाएँ उत्पन्न की जा सकें। इसके लिए सुलझी विचारधारा का साहित्य लेकर निकलना चाहिए तथा लोगों को उसे पढ़ने तथा विचार करने की प्रेरणा देनी चाहिए, उसके साथ अशिक्षित व्यक्तियों के लिए पढ़कर सुनाने या परामर्श द्वारा प्रेरणा देने की प्रक्रिया चलायी जानी चाहिए। आरंभ में सभी लोगों की रुचि इस ओर नहीं हो सकती। अतः जो लोग ज्ञानयज्ञ की आवश्यकता समझते हैं, उन्हें चाहिए कि वे ऐसा विचार-साहित्य लोगों तक स्वयं लेकर पहुँचे। कहा जा सकता है कि जिन्हें आवश्यकता है, वे स्वयं ऐसा साहित्य खोजें और पढ़ें। सबमें यदि ऐसी रुचि उत्पन्न हो जाय और वे अच्छे साहित्य का महत्त्व समझने लगे तो फिर कहना ही क्या ? ऐसी रुचि के व्यक्ति बहुत थोड़े हो सकते हैं; अधिकांश में तो रुचि उत्पन्न करनी पड़ेगी और इसके लिए उनके पास जाना पड़ेगा। यह ठीक है कि कुँआ प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को ही कुँआ के पास जाकर पानी पीना पड़ता है। गर्मियों में जब व्यापक जल-संकट उत्पन्न हो जाता है, तो बादलों को ही जगह-जगह जाकर बरसना पड़ता है। लोकसेवियों को भी सद्विचारों और सद्प्रेरणाओं को शीतल, सुखद जलवृष्टि के लिए जन-जन तक पहुँचना चाहिए।

विचारों और भावनाओं का निर्माण संपर्क द्वारा होता है और अपनी भावना जिनसे संपर्क किया गया है, उन्हें प्रभावित करेंगी,

विचारों और भावनाओं का यह संप्रेषण महापुरुषों के विचारों का आधार लेकर किया जा सकता है। लेखनी और वाणी द्वारा सद्विचारों का बीजारोपण तथा प्रोत्साहन सरलतापूर्वक किया जा सकता है। लेकिन स्मरण रखा जाना चाहिए, उसके लिए उन व्यक्तियों में पहले सद्विचारों के प्रति भूख जगाना आवश्यक है। भूख उत्पन्न करने का यह कार्य संपर्क द्वारा ही संभव होता है। उसके बाद सद्विचारों और सत्प्रेरणाओं को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता साहित्य और प्रचार-कार्यों द्वारा पूरी की जा सकती है।

झोला पुस्तकालय—

जीवन निर्माणकारी सत्साहित्य के प्रति रुचि जगाना ही विचार परिवर्तन अभियान का प्रथम सोपान है। 'झोला पुस्तकालय' चलाकर उस सोपान को पार करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास भी किया जा सकता है। विचार-क्रांति की आवश्यकता अमेकों लोक सेवियों के सम्मिलित प्रयासों से पूरी होगी। उन प्रयासों के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए, कई व्यक्तियों का सम्मिलित सहयोग चाहिए। पर झोला-पुस्तकालय ऐसा कार्यक्रम है, जिसे अकेले भी चलाया जा सकता है।

किसी भी व्यक्ति का मस्तिष्क कभी खाली नहीं रहता। उसमें कोई न कोई विचार उठते ही रहते हैं। यदि समस्त संकट उत्पन्न करने वाले कुविचारों और अवांछनीय मान्यताओं को हटाना है, तो उसके स्थान पर सद्विचारों एवं आदर्शवादी निष्ठाओं को प्रतिष्ठापित करना ही होगा। लोकसेवियों को यह पुण्य प्रयोजन पूरा करना ही होगा। प्राचीन काल में साधु, ब्राह्मण घर-घर अलख जगाते हुए जन-जन के मन-मानस को शुद्ध करने के लिए उनके अंतस्तल तक धर्म एवं अध्यात्म का प्रकाश पहुँचाते थे। विचार शुद्धि के लिए घर-घर जाने की प्रक्रिया आज के समय में झोला पुस्तकालय द्वारा सुगमतापूर्वक पूरी की जा सकती है, यह तो ठीक है कि प्रत्येक व्यक्ति साधु-ब्राह्मण नहीं हो सकता और न प्राचीन काल के उन महापुरुषों की भाँति प्रभावशाली प्रवचन कर सकता है, परंतु झोला पुस्तकालय से कोई व्यक्ति

आसानी से इस महान सत्कर्म का संपादन कर सकता है। युग-निर्माण योजना के अंतर्गत विचार-क्रांति के उद्देश्य से लिखा गया सस्ता साहित्य अपनी पंक्तियों में ऋषियों के ज्ञान, अनुभव, प्रवचन एवं मार्गदर्शन की सांगोपांग प्रक्रिया धारण किए हुए है। उसमें वह सामर्थ्य है, जिससे पढ़ने वाले की विचार-भूमि को झकझोर और उलट-पलट कर वांछनीय दिशा में नियोजित कर दे। इस साहित्य से अपरिचितों को परिचित कराया जा सके, असंबंधितों को संबंधित किया जा सके और अनभिज्ञों को उपलब्ध कराया जा सके तो युग परिवर्तन की भूमिका का श्रेष्ठ शुभारंभ हो सकता है। 'झोला पुस्तकालय' आंदोलन के माध्यम से वही कार्य हो सकता है, जो प्राचीन काल के साधु-ब्राह्मण अपने बहुमूल्य जीवन का उत्सर्ग करके संपादित करते थे। हर व्यक्ति उतना महान भले ही न हो सके, पर उनका उद्देश्य एक झोला पुस्तकालय चलाते रहकर, भली प्रकार पूरा होता रह सकता है।

कार्य की दृष्टि से वह कुछ भी कठिन नहीं है। हाथ में कपड़े, जीन या प्लास्टिक के हैंड बैग, आमतौर से पढ़े-लिखे लोग लिए रहते हैं। यह झोले शिक्षित होने की पहचान भी है। इनमें आवश्यक कागज-पत्र लेकर पढ़े-लिखे लोग चलते हैं। अब तो ऐसे सुंदर झोले भी चल पड़े हैं, जिन्हें हाथ में रखने या कंधे पर लटकाने में शोभा और शान बढ़ी प्रतीत होती है। ऐसा एक झोला साथ रखा जाये और उसमें छोटी-छोटी विचारोत्तेजक पुस्तकें, ट्रेक्ट्स रख लिये जाएँ, तो किसी पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ता और न कोई खास कठिनाई ही होती है।

काम तो घर से बाहर ही करना पड़ता है। जहाँ काम करने जाते हैं, वहाँ साथियों से तथा उस प्रयोजन से संबंध रखने वाले लोगों से संपर्क बनता है। जिनसे संपर्क होगा उनसे काम की या बेकाम की कुछ न कुछ बातें भी होती ही हैं। उसी वार्तालाप में यदि प्रसंगानुकूल युग-निर्माण विचारधारा की चर्चा छेड़ दी जाए तो उससे बातचीत का आनंद बढ़ता है, घटता नहीं। अपनी जानकारी तथा महानता की छाप दूसरों पर पड़ती है और उस तरह की चर्चा छेड़ने वाले को आमतौर से विचारशील एवं विज्ञ माना जाता है।

बहुत-से शिक्षित लोग अपने नगर में हो सकते हैं, उनसे सज्जनतापूर्ण संपर्क बनाया जा सकता है और यदि पूर्व सत्साहित्य पढ़ने में रुचि न रही हो तो भी उसे जगाया जा सकता है। बहुत-से लोगों के पास ढेरों अवकाश रहता है, समय काटने के लिए वे गपशप, मटरगश्ती या और कुछ ताश-चौपड़ का शुगल ढूँढ़ते रहते हैं। ऐसे लोगों को कोई बुद्धिमान व्यक्ति धीरे-धीरे पढ़ने का व्यसन लगा सकता है। जब रस आने लगता है, तब यह स्वाध्याय किसी भी मजेदार व्यसन से अधिक मजेदार लगने लगता है। यह साहित्य प्राणवान हो, तो स्वाध्याय सर्वथा निष्फल नहीं कहा जा सकता। पढ़ने वाले पर उसका प्रभाव पढ़ाना अवश्यंभावी है और यह जितना गहरा होता जावेगा, वह व्यक्ति नवनिर्माण की दृष्टि से अधिकाधिक उपयुक्त बनता चला जावेगा।

प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति को, जो इस विषम बेला में अपना कोई उत्तरदायित्व समझते हैं, झोला-पुस्तकालय चलाना चाहिए। सोते हुए अंतःकरणों में सदज्ञान की ज्योति जलाने की आवश्यकता झोला पुस्तकालय द्वारा पूरी की जा सकती है। कोई दीन-दरिद्र झोला लेकर भिक्षा माँगने भी जाते हैं, पर झोला-पुस्तकालय का झोला उससे भिन्न है, वह अमृत बाँटने का, प्रकाश बाँटने का व कल्याण बाँटने का अभियान है।

चल-पुस्तकालय—

संपर्क क्षेत्र में सदज्ञान का प्रकाश पहुँचाने के लिए झोला पुस्तकालय एक सुगम माध्यम है, इसका अगला प्रभावशाली कदम 'चल-पुस्तकालय' के रूप में उठाना चाहिए। हर व्यक्ति का परिचय क्षेत्र सीमित है, जबकि विचार-क्रांति का क्षेत्र व्यापक है। इसके लिए परिचय क्षेत्र से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। झोला पुस्तकालय का साहित्य अंदर रहता है, बाहर उसका प्रकाश नहीं पहुँचता। चल-पुस्तकालय द्वारा इस अभाव की पूर्ति होती है।

यह भी एक छोटी-सी प्रक्रिया है, पर इसका महत्त्व किसी विशाल देव-मंदिर की तुलना में कम नहीं अधिक ही है। सर्वमान्य है

कि ज्ञान संसार की सर्वोपरि उपलब्धि है। सद्ज्ञान का अनुग्रह प्राप्त करते ही मनुष्य हर दृष्टि से धन्य हो जाता है। इसीलिए उसे पारस भी कहा गया है। ज्ञान के प्रचार और प्रसार को एक अति उच्चकोटि की देवाराधना मानना चाहिए और ज्ञानरथ उसी सद्ज्ञान के प्रकाश को हर जगह पहुँचाने की आवश्यकता पूरी करता है।

हल्के रबड़ के पहिये वाली गाड़ी, ऊपर धूप, वर्षा और हवा से पुस्तकों के बचाव की व्यवस्था, पहियों को तीन तरफ से घेरे हुए कपड़े या टीन के साइड-बोर्ड—बस हो गया तैयार चल पुस्तकालय-ज्ञान रथ। उसे लेकर एकाकी व्यक्ति नित्य निकलता रह सकता है। शिक्षित समाज, मंदिर, पार्क, स्कूल, दफ्तर, कारखाने, बाजार, सिनेमा, कचहरी आदि इसके लिए उपयुक्त स्थान हो सकते हैं और वहाँ विज्ञप्तियाँ बाँटने, पुस्तकें पढ़ने से लेकर बेचने तक के कार्य के साथ-साथ लोगों में सत्साहित्य के अध्ययन करने की भूख जगानी चाहिए।

आमतौर पर लोगों को उच्च विचारों की शक्ति और उपयोगिता का ज्ञान नहीं होता, इसलिए सत्साहित्य के प्रति उनमें अभिरुचि भी उत्पन्न नहीं होती। आजकल सस्ते, रोमांटिक और जासूसी उपन्यास, कथा—कहानियों की पुस्तकें जितनी लोकप्रिय हैं, उसका कारण यह नहीं कि लोग स्वतः उनकी ओर आकृष्ट हुए हैं। वस्तुतः तो अधिकांश व्यक्ति अन्य लोगों को इस तरह की पुस्तकें पढ़ते देखकर ही स्वयं भी पढ़ने लगते हैं, पर जो स्वयं ऐसी पुस्तकें ढूँढ़ते हैं, उनमें आकर्षण अनायास उत्पन्न नहीं हो जाता। उसके लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापन छपवाने से लेकर प्रतिनिधि भेजकर इस तरह की पुस्तकें फैलाने के लिए एक समूचा प्रचार तंत्र खड़ा किया जाता है। उन प्रचार साधनों के माध्यम से लोगों के मन में आकर्षण उत्पन्न किया जाता है और लोग उन्हें पढ़ने लगते हैं।

अच्छा साहित्य इसलिए भी लोकप्रिय नहीं होता कि जिन थोड़े-बहुत व्यक्तियों की रुचि उस ओर है, उन्हें वह सुगमता से मिल नहीं पाता और सस्ती, मनोरंजक पुस्तकें सुगमता से उपलब्ध हो जाती हैं। सत्साहित्य के प्रति अभिरुचि जगाने के साथ अभिरुचि

संपन्न व्यक्तियों के लिये उसे सुगमता से उपलब्ध कराने का कार्य भी चल-पुस्तकालयों द्वारा होता है।

पुस्तकालय—

अच्छे साहित्य के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट न होने का एक कारण उनका सुगमता से उपलब्ध न हो पाना भी है। झोला पुस्तकालय और चल-पुस्तकालयों द्वारा लोगों में अच्छा साहित्य पढ़ने की रुचि जगाने के साथ उनकी मानसिक क्षुधा को तृप्त करने की व्यवस्था भी आवश्यक है। यह आवश्यकता पुस्तकालयों द्वारा पूरी हो सकती है। पुस्तकें उपलब्ध होने पर भी बहुत-से व्यक्ति अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें खरीद नहीं पाते। यदि पुस्तकालयों के रूप में सामूहिक व्यवस्था की जा सके, जिससे कि लोग अपनी स्वाध्याय की आवश्यकता पूरी करते रहें तो ज्ञानयज्ञ अभियान को और भी अग्रगामी बनाया जा सकता है।

एक व्यक्ति अधिक से अधिक अपने कुल जीवन में १००-५० पुस्तकें खरीदकर पढ़ सकता है। सामान्य आर्थिक स्थिति के व्यक्ति के लिए इससे अधिक का खर्च बर्दाश्त करना संभव नहीं। पर इतने धन से अच्छी और मोटी पुस्तकें ५ या १० से अधिक नहीं आयेंगी। दस पुस्तकों का ज्ञान भी कम और एकांगी ही होगा। बौद्धिक विकास और आत्मा की अनंत ज्ञानार्जन की प्यास इतने से कैसे बुझ सकती है ? उसके लिए तो सबसे अच्छी बात यही हो सकती है कि गाँव-गाँव और नगर-नगर पुस्तकालय स्थापित किये जाएँ और वहाँ बैठकर या व्यवस्थित रीति से घर ले जाकर पुस्तकें पढ़ने की सुविधाएँ जुटाई जाएँ। ५-५ पुस्तकों की कीमत चुका देने वाले गाँव के १०० आदमी तैयार हो जाएँ और एक-दो कोई ऐसे उदार और समाजसेवी व्यक्ति निकल आएँ, जो कुछ अधिक आर्थिक मदद कर सकें तो १००० पुस्तकों का सुंदर पुस्तकालय तैयार हो सकता है। स्थिति के अनुसार पुस्तकें कम-ज्यादा भी हो सकती हैं, पर इस तरह ज्ञानार्जन के साधनों का विकास तो हो ही सकता है।

परमात्मा ज्ञानस्वरूप है। विचार और ज्ञान के रूप में ही वह मानवीय अंतःकरण में प्रकाश और प्रेरणा उत्पन्न करता है। इसलिए जहाँ ज्ञान की निर्झरणी पुस्तकों का निवास स्थान हो, उसे देव-मंदिर या परमात्मा के ज्ञान-स्वरूप की प्रतिष्ठा का शुभ स्थान ही समझना चाहिये। उस स्थान को मंदिर से कम और क्या कहेंगे, जहाँ पुस्तकों के रूप में ज्ञान के चेतनायुक्त देवता निवास करते हैं।

पत्थर की मूर्ति वाले देव मंदिरों में बुराइयाँ भी पनप सकती हैं, अंधविश्वास, धोखा और ठगी के कारोबार भी देखे जाते हैं। मंदिर टूट-फूट कर गिर जाते हैं, तो उनका महत्त्व समाप्त हो जाता है। कुछ दिन तो लोग यह भी भूल जाते हैं कि यहाँ कोई देवस्थान था। पर पुस्तकालय नष्ट हो जाने पर भी उसकी आत्मा-पुस्तकों का अस्तित्व नष्ट नहीं होता। एक बार स्थापित हो जाने पर, वे बहुत दिनों तक लोगों को सद्ज्ञान बाँटती रहती है। पुस्तकालयों में जाने पर लोगों की भावनाओं में स्थानगत उत्कृष्टता आती है और विचार ऊर्ध्वगामी बनते हैं। इन्हें ज्ञान का सिद्ध-पीठ ही मानना चाहिए, जहाँ पहुँचकर लोग उसकी एक-एक किरण से प्रभावित होकर ही लौटते हैं।

किसी व्यक्ति की धर्म-कर्म की इच्छा होती है, तो वह मंदिर बनवा देता है, कुछ लोग धर्मशाला कुआँ या बावड़ी बनवा देते हैं। वृक्ष लगवाने, बाग लगवाने, सदावर्त, खुलवाने, ब्रह्मभोज करने के कितने ही विधि-विधान हैं, जिनके संबंध में लोगों का विश्वास है कि इनसे पुण्यार्जन होता है। इन क्रियाओं के करने से लोगों को आत्मशांति और आत्मसंतोष मिलता भी होगा, किंतु इस युग की आवश्यकता को देखते हुए पुस्तकालय की स्थापना को ही सबसे अधिक पुण्य-फलदायी कर्म मानना पड़ेगा। उपरोक्त धर्मकृत्यों से प्राप्त होने वाला पुण्य संदिग्ध भी हो सकता है, पर आत्मोन्नति और लोकोपकार की दृष्टि से पुस्तकालय के पुण्य असंदिग्ध ही कहे जायेंगे। एक पुस्तकालय से पुस्तकें पढ़कर पाँच व्यक्ति भी यदि सत्प्रेरणाएँ प्राप्त कर सकें और उन्होंने पाँच-पाँच अन्य व्यक्तियों को भी अपने जीवन में सत्प्रेरणाएँ दें, तो अच्छे व्यक्तियों की संख्या

बढ़ती ही जाएगी और वह पुण्य लाभ स्वर्गीय आत्माओं के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ता ही रहेगा। पच्चीस-पचास वर्ष तक निरंतर चलते रहने वाले पुस्तकालय के पुण्य लाभ की तो फिर तुलना भी नहीं की जा सकती। उसे किसी अश्वमेध यज्ञ के पुण्य लाभ से कम लाभ देने वाला नहीं कहा जा सकता।

अतएव जिनके पास साधन हैं और जो धर्म-कार्य करना चाहते हैं, उन्हें पुस्तकालय खोलने के लिये धन देना चाहिए। जमीन, पुस्तकें, फर्नीचर, मकान या कमरे आदि साधन उपलब्ध कराना चाहिये। जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, वे भी १०० व्यक्तियों का संगठन बनाकर ५-५ रुपये वार्षिक भी दें और ५-५ रुपये एक बार प्रारंभ में दे दें, तो उससे १० वर्षों में ही एक समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना हो सकती है। इसमें न तो किसी पर आर्थिक दबाव ही पड़ेगा और न कोई बड़ी व्यवस्था ही करनी पड़ेगी।

देव मंदिर की स्थापना जिस लगन से करते हैं, वैसे ही पुस्तकालय के लिए भी उसी तरह लगनपूर्वक प्रयास करना चाहिए। चूँकि विचार सेवा सबसे अच्छी सेवा है, अतः समाजसेवी तथा लोकसेवा के इच्छुकों को पुण्य और परमार्थ की दृष्टि से पुस्तकालय खुलवाना चाहिये। पुस्तकालय के लिये दान देना चाहिए, पुस्तकें देनी चाहिए, चंदा देना चाहिए। उसे ब्रह्म-दान ही माना जाएगा और उसका पुण्यफल भी भोजन, वस्त्र देने की अपेक्षा अधिक होगा। इसलिए जहाँ कहीं भी लोग दान-पुण्य करें पुस्तकालय के लिए करें। जिस तरह लोग होली, दीवाली, रामलीला, पर्वोत्सवों तथा यज्ञ आदि सामूहिक अनुष्ठानों के लिए धन देते हैं, वैसे ही पुस्तकालय के लिए भी दान दें, यह प्रत्येक विचारशील व्यक्ति का परम पावन कर्तव्य है।

टैपरिकार्डर-बोलता पुस्तकालय—

पुस्तकालय, चल पुस्तकालय तथा झोला पुस्तकालय द्वारा शिक्षित व्यक्तियों तक ही नवयुग का संदेश-सद्विचारों की प्रेरणाएँ पहुँचायी जा सकती हैं। अशिक्षित या कम पढ़े-लिखे व्यक्तियों को उससे अलग नहीं रखना चाहिए। इसलिए विचार-क्रांति का व्यापक क्षेत्र में विस्तार करने के लिए ऐसे विकल्प भी अपनाए जा चाहिए, जो शिक्षित और अशिक्षित सभी स्तर के व्यक्तियों के लिए समान रूप से उपयोगी हों। इस तरह के साधनों में से एक है—टैपरिकार्डर।

इस यंत्र का उपयोग आमतौर से मनोरंजन के लिए ही किया जाता है। जिस तरह दर्पण में चेहरा देखते रहना सुहावना लगता है, अपने प्रियजनों की छवि फोटो के रूप में रखना प्रीतिकर लगता है, उसी प्रकार अपनी आवाज या अपने प्रियजनों की आवाज भी प्रिय लगती है और उसे बार-बार सुनने की इच्छा होती है। टैपरिकार्डर प्रायः इसीलिए लोग खरीदते हैं, परंतु विचार-क्रांति के लिए इसका महत्त्वपूर्ण उपयोग भी है, उससे बोलते पुस्तकालय का काम लिया जा सकता है। पुस्तकालयों में विचारों को स्याही, छपाई और कागज आदि माध्यमों द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। टैपरिकार्डर विचारशील व्यक्तियों के न केवल विचार वरन् उनकी वाणी को अंकित कर सकता है।

टैपरिकार्डर में महामानवों के ऐसे छोटे-छोटे प्रवचन टैप कराये जा सकते हैं, जो नव-निर्माण की विचारधारा के अनुरूप हों। इस प्रकार विविध विषयों के प्रवचन-टैप इकट्ठे किये जा सकते हैं और उस टैप-संकलन का उपयोग पुस्तकालय या समारोह आयोजन के रूप में किया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से कोई कुछ सुनना चाहे, तो टैप-रिकार्डर बोलती पुस्तक का काम कर सकते हैं, जो कागज-स्याही से ही नहीं, वरन् वक्ता महापुरुष की वाणी से प्रकाश प्रदान करती है।

प्रकाश चित्र-यंत्र

स्लाइड प्रोजेक्टर क्षेत्रों में जन मानस को प्रशिक्षित करने के प्रभावशाली माध्यम सिद्ध हो सकते हैं। इस यंत्र द्वारा पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और महापुरुषों के जीवन की मार्मिक घटनाओं की छवियाँ पर्दे पर दिखाई जा सकती हैं तथा उनकी प्रेरणाप्रद, प्रगतिशील-प्रभावकारी व्याख्याओं द्वारा जनमानस को प्रशिक्षित किया जा सकता है।

प्रकाश चित्र-यंत्र के सफल उपयोग में आशंका की जाती है कि आजकल सिनेमा का बहुत प्रचलन हो गया है, इससे लोग इसमें रुचि नहीं लेंगे। यह सोचना आंशिक रूप से ही सही हो सकता है। बड़े शहरों में जहाँ सिनेमाघर हैं, वहाँ जिन्हें पैसा देकर सिनेमा देखने की सुविधा उपलब्ध है; उन लोगों के लिए तथा जिन्हें केवल मनोरंजन का उद्देश्य पूरा करना और टिकट के पैसे की भरपाई भर करना है, उनके लिए स्लाइड प्रोजेक्टर में कोई आकर्षण नहीं हो सकता है। जहाँ उपरोक्त तीनों बातें लागू नहीं होती, वहाँ न केवल स्लाइड प्रोजेक्टर वरन् अन्य पुराने माध्यम भी आकर्षण के केंद्र बने रह सकते हैं।

देहाती क्षेत्रों में सिनेमा नहीं होते, न वहाँ के लोगों को इतना अवकाश होता है कि वे शहर जाकर सिनेमा देख सकें। अवकाश हो तो भी टिकट खरीदकर सिनेमा देखना भारी पड़ता है। इसलिए गाँव-गाँव में प्रकाश-चित्र यंत्र लेकर जाया जाय और लोगों को दिखाया जाय, तो बिना मूल्य का मनोरंजन हर कोई प्राप्त करना चाहेगा। इससे लोक-शिक्षण की आवश्यकता भी पूरी हो सकेगी। शहरों में भी बिना मूल्य का यह मनोरंजन और संलग्न लोक शिक्षण का काम आसानी से चलाया जा सकता है।

सिनेमा लोकप्रिय हुआ है और लोगों के मनोरंजन का प्रमुख साधन बना है, यह ठीक है। परंतु मनोरंजन के अन्य साधन आज भी अपनी जगह पर समान-धर्मी होने के कारण ही स्लाइड प्रोजेक्टर सिनेमा के सामने नहीं टिकेंगे, ऐसा सोचा जाय तो भी

वस्तुस्थिति भिन्न ही मालूम देगी। शहरों में बड़े-बड़े सरकस आते हैं, उनमें जानवरों के करतब ही तो दिखाये जाते हैं, किंतु लोग फिर भी रीछ, बंदरों का नाच, साँप का खेल और नट-बाजीगर के तमाशे चाव से देखते हैं। ये माध्यम यदि कमजोर पड़ रहे हैं तो इनका उपयोग करने वालों की उदासीनता के कारण ही, अन्यथा जन आकर्षण इनके प्रति अभी भी कम नहीं हुआ।

फिर विचार-क्रांति के लिए स्लाइड प्रोजेक्टर के प्रयोगों में नयी विशेषताएँ भी हैं। एक तो वे बिना मूल्य दिखाये जाते हैं, जबकि रीछ, बंदर, साँप, कठपुतली और बाजीगर के खेल-तमाशों में देखने वालों को कुछ न कुछ देना पड़ता है। उन खेल तमाशों को खड़े-खड़े या जमीन पर बैठकर देखना पड़ता है, जबकि इन प्रदर्शनों में देखने वालों को सम्मानपूर्वक बिठाया जाता है। साथ ही इन कार्यक्रमों में जो विचारोत्तेजक, प्रेरणाप्रद, उपयोगी और हृदयग्राही शिक्षण भरा होता है, उसका अपना अलग ही महत्त्व है।

सफलता की पूरी संभावना और महत्त्वपूर्ण लोकशिक्षण की उपयोगिता को देखते हुए इनका खर्च भी कुछ अधिक नहीं है। मशीन, स्लाइडें, लाउडस्पीकर, बैटरी—इन चार उपकरणों का सैट लगभग बारह-तेरह सौ की लागत में पड़ता है। इन उपकरणों को जुटाकर जन-जागरण की उपयोगिता समझने वाले लोकसेवियों को निकल पड़ना चाहिए और अपने क्षेत्र में व्यक्ति और समाज के नव-निर्माण की विद्या समझानी चाहिए।

संगीत का उपयोग और कविता सम्मेलन—

जन-जागरण के लिए संगीत का उपयोग भी किया जा सकता है। संगीत सीधा हृदय को स्पर्श करता है। लेखनी और वाणी की उतनी सीधी पहुँच भाव केंद्र तक नहीं है, जितनी कि संगीत की। मस्तिष्क को प्रभावित करने के लिए तर्कों, तथ्यों और विश्लेषणों का सहारा लिया जा सकता है, पर संगीत के माध्यम से भावनाओं को भी आंदोलित किया जा सकता है। मध्यकाल में संत कवियों ने इस माध्यम का सफल उपयोग किया था। मीरा, सूरदास,

तुलसी, कबीर जैसे भक्तसंतों ने इसी माध्यम से जनता के अंतःकरण को स्पर्श किया और जनमानस में नवजीवन का संचार किया। भावनात्मक-नवनिर्माण की जब इन दिनों तीव्र आवश्यकता अनुभव की जा रही है, तो इस माध्यम को अछूता नहीं छोड़ देना चाहिए।

संगीत आजकल वैसे भी बहुत लोकप्रिय है। करना केवल इतना है कि गायन के विषय ऊर्ध्वगामी हों। वात्सल्य, करुणा, नम्रता, आत्मीयता, स्नेह, सौजन्य, समाजनिष्ठा, मानवीय आदर्शों के प्रति आस्थाओं को तरंगित करने वाले गीत बनाये जाएँ और वाद्ययंत्रों की रसध्वनि उसी उद्बोधन को रस प्रदान करें। समय-समय पर ऐसे संगीत आयोजन करते रहना चाहिए। उनमें ऐसे गीत प्रस्तुत कराये जाएँ, जो केवल प्रसन्नता ही नहीं प्रेरणा भी प्रदान करें। ऐसे संगीत सम्मेलन स्वतंत्र रूप से पूरे समय के लिए भी रखे जा सकते हैं। कविता सम्मेलन—इस दिशा में एक और प्रभावोत्पादक कदम है। कवि सम्मेलनों में कवि लोग अपनी कविताएँ ही सुनाते हैं। उनमें विषय का कोई प्रतिबंध नहीं होता। कविता-सम्मेलन इससे भिन्न स्तर के होने चाहिए। यह अपने ढंग की एकदम स्वतंत्र और नयी शैली है। इनका बाहरी स्वरूप कवि सम्मेलनों जैसा ही रखा जा सकता है। जिनके स्वर मीठे और तीखे हैं, वे किसी की भी लिखी कविता अपने स्वर में जमाएँ और सम्मेलन में उनका पाठ करें।

प्रचलित कवि सम्मेलनों से यह सम्मेलन कई गुना महत्त्वपूर्ण है और अनेकों विशेषताओं से युक्त भी। एक तो सभी गायक मधुर स्वर वाले होंगे, जबकि कवि सम्मेलनों में वैसा नहीं होता। दूसरे विषय केवल आदर्शवादिता और उत्कृष्टता की मर्यादाओं में सीमित रहने के कारण सुनने वालों को एक दिशा देंगे, जबकि कवि सम्मेलन वैसा प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाते। तीसरे बाहर से आने वाले कवियों के लिए ढेरों पैसे खर्च करना पड़ते हैं, जबकि कविता सम्मेलन में समीपवर्ती लोग ही इकट्ठे होकर बिना किसी खर्च के उस प्रयोजन को पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार जन-जागरण की

आवश्यकता पूरी करने के लिए कविता-सम्मेलन बड़े उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

सहगान-कीर्तन की प्रक्रिया चलाकर संगीत की भाव लहरी में जनता को भी सम्मिलित किया जा सकता है। मुख्य गायक और सुनने वाले लोग किसी गीत को या उसकी टेकों को गाएँ-दुहराएँ तो उसका बड़ा मनोवैज्ञानिक लाभ हो सकता है। लोग जब उस पद को अथवा उसकी टेक को दुहराते हैं, तो उसके भावों से अनायास ही जुड़ जाते हैं। इतना ही नहीं अंतःकरण में उन भावों के प्रति स्वयं के द्वारा समर्थित और प्रतिपादित होने की अनुभूति होती है; वातावरण ही कुछ ऐसा बन जाता है, मानो एक विशाल जनसमूह इन मान्यताओं का, भावनाओं का समर्थन कर रहा हो।

संगीत विद्या के इस प्रकार विविध प्रयोगों द्वारा जनमानस को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम आसानी से चलाया जा सकता है। इससे लोगों के मन पर बिना किसी प्रकार का भार दबाव पड़े आनंद, उत्साह और नयी दिशाएँ मिलती हैं। जनमानस को दिशा विशेष में मोड़ने के लिए संगीत कला का उपयोग किया ही जाना चाहिए।

विचार गोष्ठी—

प्रस्तुत सद्ज्ञान के प्रकाश में—भावनाओं के शिक्षण का उपयोग करते हुए, आसन्न समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाय, यह उपाय खोजने के लिए विचारगोष्ठियाँ की जानी चाहिए। समस्याओं के मूल कारण का विश्लेषण और उनके समाधान का आधार सिद्धांत ही सार्वजनिक रूप से प्रतिपादित किया जा सकता है। सिद्धांत को क्रियान्वित किस प्रकार किया जाय ? यह स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ही निश्चित किया जाना चाहिए। सिद्धांत अपने आप में कितना भी सही और सटीक हो, यदि उसे ठीक ढंग से क्रियान्वित न किया जा सका तो उसके अपेक्षित परिणाम नहीं ही निकल सकते। विचारशील व्यक्ति स्थानीय परिस्थितियों के संदर्भ में उनकी व्यावहारिक रूपरेखा बना सकते हैं और उसे लोगों को विचारगोष्ठियों में समझा सकते हैं।

विचारगोष्ठी से व्यक्तिगत संपर्क का प्रयोजन एक साथ अधिक लोगों से पूरा किया जा सकता है। कोई बात प्रत्येक व्यक्ति को समझानी हो, तो उसके लिए काफी समय चाहिए और बड़ा श्रम भी। विचारगोष्ठियों में कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें प्रतिपादन, विश्लेषण और तथ्य बताये और समझाये जाते हैं। कहा जा सकता है कि, यह तो सभाओं में भी होता है। सभाओं में प्रतिपादन किये जाते हैं, परंतु उसमें सुनने वाले भिन्न स्तर और अलग-अलग रुचि के व्यक्ति अलग-अलग उद्देश्य लेकर आते हैं। किसी का उद्देश्य केवल वक्ता के दर्शन करना ही होता है, उनके मन में बाहर से आये प्रवक्ता के प्रति आदर-श्रद्धा का भाव होता है, कुछ लोग क्या होता है ? यही देखने चले आते हैं, जो कहा जा रहा है, उसको गहराई से समझने—ग्रहण करने की उन्हें आवश्यकता अनुभव नहीं होती। कई लोग सत्संग के उद्देश्य से ही आते हैं। इसमें वक्ता भी प्रतिपादन का स्तर हल्का कर देता है और श्रोताओं को कई बात समझाने के साथ-साथ उन्हें बिठाये रखने के लिए भी अपने भाषण में रोचकता, सतहीपन और गैर-गंभीरता लाने लगता है। विचारगोष्ठी में थोड़े-से लोग होते हैं, उस विषय में इनकी गहरी रुचि होती है, इसलिए गोष्ठी में अपेक्षाकृत अधिक अच्छे ढंग से प्रस्तुत विषय का प्रतिपादन किया जा सकता है।

एक स्थान के प्रबुद्ध, विचारशील और वर्ण्य-विषय में रुचि रखने वाले या जिनमें रुचि उत्पन्न की जा सकती है, ऐसे व्यक्तियों को एकत्रित कर विचारगोष्ठियों का क्रम चलाना चाहिए। वहाँ का गंभीर वातावरण और विषय की सूक्ष्म-विवेचना प्रतिपादनों को जनमानस में अच्छी तरह उतारने की संभावना बना देती है। ये लोकसेवी-कार्यकर्ता जनजागरण के उद्देश्य से जहाँ कहीं भी जाएँ अथवा जहाँ रहें, वहीं विचारगोष्ठियों का क्रम चला सकते हैं।

स्वाध्याय-गोष्ठियाँ—

सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर प्रगतिशील प्रेरणादायी पुस्तकों के स्वाध्याय की प्रक्रिया भी आरंभ की जा सकती है; दूसरे उन व्यक्तियों को भी लाभ पहुँचता है, जो पढ़-लिख नहीं पाते। एक

व्यक्ति पूर्व निश्चित विषय की पुस्तक लेकर पढ़ने बैठ जाय और शेष सब सुनें। एक पैराग्राफ पढ़ लेने के बाद थोड़ा रुक जाय, फिर जो पढ़ा गया है—उस विषय पर चर्चा की जाय।

सुनने के साथ ही समझने का क्रम भी चलता है। प्रत्येक व्यक्ति सुनते समय विषय पर चिंतन भी करने लगता है। यह तो निश्चित है कि प्रत्येक श्रोता की चिंतन-शैली अपनी अलग होती है। सब लोग एक-एक कर अपने निष्कर्षों को रखें तो उसके विषय पर और भी अधिक प्रकाश पड़ता है, क्योंकि एक बात कोई व्यक्ति पकड़ता है, तो यह कोई आवश्यक नहीं कि दूसरा भी उसे पकड़ ही ले या उस पर अन्य सभी लोगों का भी ध्यान जाय ही जाय। अपने निष्कर्षों को सुनाने पर उस विषय से संबंधित अनेकों पक्ष पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है।

कई सामाजिक संस्थाएँ इस प्रकार की स्वाध्याय-गोष्ठियाँ चलाती हैं और उनके सदस्य एक-दूसरे की प्रतिभा, सूझ-बूझ, विषय की सूक्ष्म पकड़ तथा चिंतन का लाभ उठाते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी तथा अरविंद सोसाइटी के सदस्य इसी तरह के स्टडी सर्किल चलाते हैं, जिनमें बहुत-से व्यक्ति एक साथ इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से स्वाध्याय करते हैं। जनजागरण का संदेश अनपढ़, अशिक्षित व्यक्तियों तक पहुँचाने के लिए भी यह पद्धति बड़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

पढ़े-लिखे व्यक्ति अपना एक क्षेत्र चुन लें और उस क्षेत्र के अनपढ़ व्यक्तियों को एक स्थान पर इकट्ठा करें, सत्साहित्य का पढ़ना शुरू करें। इनका स्वरूप बहुत-कुछ कथावार्ताओं की तरह होता है, परंतु भिन्नता भी कम नहीं है। कथावार्ताओं में किसी एक धर्मग्रंथ को पढ़ने की लकीर भर पीटी जाती है। सुनने वालों को न उनमें कोई रुचि होती है और न सुनाने वालों में ही कोई उत्साह रहता है। जबकि इस प्रक्रिया में पढ़कर सुनाने वाला व्यक्ति जन जागरण की साधना-निष्ठा से प्रेरित होने के कारण उत्साह से भरा रहता है और सुनने वाले अपने भले की बात कही जा रही है, यह जानकर मनयोगपूर्वक सुनने बैठे रहते हैं।

तीर्थ यात्रा-प्रचार यात्रा—

लोकसेवियों को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि नव जीवन की प्रेरणा केवल उन्हें दी जाय, जो हमारे पास आएँ अथवा जो लोग बुलाने पर इकट्ठे हो जाएँ। वरन् इसके लिए लोगों तक स्वयं भी पहुँचना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति सद्ज्ञान की महत्ता और सद्विचारों की उपयोगिता समझता हो यह आवश्यक नहीं है। सोया हुआ व्यक्ति यदि जलते हुए मकान में से उठकर बाहर नहीं निकलता है तो दोष उसका नहीं है। उसे जगाकर आग से बाहर निकालना चाहिए। अभ्यस्त हो जाने के कारण लोग अपनी जीवन दिशा की विसंगतियाँ अनुभव नहीं करते और सद्ज्ञान की आवश्यकता नहीं समझते तो इसमें उनकी गलती नहीं है, इसे एक कमजोरी या दुःस्थिति ही कहा जा सकता है।

सद्ज्ञान का आलोक दूर-दूर पहुँचाने को विचारशील व्यक्ति अपने समीप और दूरवर्ती क्षेत्रों में भ्रमण करें और घर-घर जाकर नवयुग का संदेश पहुँचाएँ, इसी का नाम तीर्थयात्रा है। अपने देश में तीर्थयात्रा को जो महत्त्व दिया गया है, वह इसी स्वरूप के कारण है। अमुक मंदिर सरोवरों के दर्शन-स्नान का माहात्म्य उसके साथ जरूर जोड़ा गया है, पर मुख्य वह नहीं है। मुख्य वह पर्यटन है, जिसके साथ धर्म-अभिवृद्धि का प्रयोजन भी जुड़ा हुआ है। पहले तीर्थयात्रा पैदल की जाती थी और पद यात्रा द्वारा जन-संपर्क करते हुए धर्म-प्रचार का उद्देश्य पूरा किया जाता था। आज द्रुतगामी वाहनों में बैठकर कुछ ही समय में मंदिरों के दर्शन और सरोवरों में स्नान कर लौट आना लकीर पीटने भर जैसा है।

पहले जमाने में साधु-ब्राह्मण हमेशा घूमते रहते थे। महात्मा बुद्ध ने तो भिक्षुओं को लिए यह मर्यादा ही बना दी थी कि वे एक स्थान पर तीन दिन से अधिक न ठहरें। इसका कुल इतना ही कारण था कि अधिकाधिक लोगों से जनसंपर्क बनाया जा सके और उन्हें धार्मिकता-आध्यात्मिकता की प्रेरणा दी जा सके। प्राचीन काल के आदर्शों के अनुरूप तीर्थयात्राओं की—पदयात्राओं की

पुण्य-प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जानी चाहिए। इससे देशाटन का लाभ तो मिलेगा ही; उसके अतिरिक्त अपना प्रधान उद्देश्य, मार्ग में पड़ने वाले गाँव-नगरों में धर्म-भावनाओं को प्रोत्साहित करना भी पूरा होता चलेगा।

इसके लिए समान विचारों के लोग एक मंडली बनाकर निकलने की तैयारी करें। कितने समय के लिए जाना है ? हर दिन कितने मील चलना है ? और किन-किन गाँवों में रुकना है ? आदि बातों का पहले से ही निर्धारण कर लिया जाय तथा मार्ग में पड़ने वाले सभी गाँवों में सत्प्रेरणायें जगाते हुए, जनजागरण के कार्यक्रम संपन्न करते हुए चलें। यह तीर्थयात्रा मंडली जिस रास्ते से जाय, उससे वापस नहीं लौटे। वापस लौटने का रास्ता दूसरा होना चाहिए और उस मार्ग में पड़ने वाले गाँवों में प्रचार कार्य करते हुए चलना चाहिए।

इस प्रचार-यात्रा में लोगों को नव-निर्माण की प्रेरणा देने के साथ-साथ किये गये प्रयासों के प्रभाव का अध्ययन भी होता है।

कई विचारशील व्यक्तियों को आगे आने की प्रेरणा मिलती है, जो जन-जागरण में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

तीर्थयात्राओं के माध्यम से जन-जागरण के लिए निकलने का दोहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। अधिक व्यक्तियों के एक साथ चलने पर मंडली का अपना मनोबल तो बढ़ा-चढ़ा ही रहता है, जिससे मिला जाता है, उस पर भी इच्छाशक्ति का दबाव पड़े बिना नहीं रहता। एक साथ विभिन्न स्तर की योग्यताओं वाले व्यक्ति तीर्थयात्रा में निकलते हैं तो प्रचार के अतिरिक्त गाँवों की स्थानीय समस्याओं के संबंध में भी मार्गदर्शन दिया जा सकता है और प्रभावित व्यक्तियों को जनजागरण के महाकार्य में उनकी स्थिति-योग्यता के अनुरूप जुड़ने की प्रेरणा दी जा सकती है।

उन यात्राओं पर निकलने वाली टोलियों को एक कार्यक्रम अपने साथ यह भी रखना चाहिए कि दीवारों पर आदर्श वाक्य लिखे जाएँ। यह कार्य स्वतंत्र रूप से भी किया जा सकता है। गाँव

के गली-मुहल्ले की हर दीवार पर सुंदर सुलेख द्वारा बड़े अक्षरों में प्रेरणाप्रद, उत्कृष्ट और दिशा लेने वाले आदर्श-वाक्य लिखे हों तो उन्हें निकालने वाले अनायास ही पढ़ेंगे और प्रभावित होंगे।

सद्वाक्य लेखन—

यह तो नहीं कहा जा सकता है कि जो भी उन वाक्यों को पढ़ेगा, वह निहित प्रेरणाओं पर आचरण भी अवश्य ही करेगा। यह सफलता तो सुयोग्य व्यक्तियों द्वारा दिये जाने वाले लंबे-चौड़े प्रवचनों में भी नहीं मिलती और बड़े-बड़े सद्ग्रंथ भी तत्काल कोई चमत्कारी प्रभाव नहीं दिखा पाते; किंतु उन पर देखने वालों की निगाह बराबर जाती है तो सद्विचारों का हल्का-सा संस्कार जरूर पड़ता है। यदि वे संस्कार एकत्रित होने लगे तो कालांतर में ही अपना अनोखा प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिस प्रकार बुरी बातों को बार-बार देखने, सुनने, सोचने से उनकी ओर मन ललचाने लगता है, उसी प्रकार प्रेरणाप्रद विचार भी उन पर अपना प्रभाव किसी न किसी रूप में अवश्य ही छोड़ते हैं।

जन-जागृति के लिए अपना समय देने वाले कार्यकर्ताओं को सद्वाक्य लेखन के लिए अपना थोड़ा समय जरूर लगाना चाहिए और जिनसे इस कार्य में सहयोग मिलने की आशा हो, उनसे भी अवश्य सहयोग लेना चाहिये। गेरू से लाल अक्षर और बाजार में बिकने वाली कालिख या नील से काले या नीले अक्षरों में सद्वाक्य लिखे जा सकते हैं। थोड़ा गोंद या पका हुआ सरेस मिला देने से उस लेखन-स्याही में और भी मजबूती आ जाती है। लिखने के लिए बालों से बने ब्रुश भी प्रयोग में लाये जा सकते हैं और लकड़ी के सिरे पर कपड़ा या रुई बाँधकर अथवा खजूर की हरी लकड़ी एक सिरे से कूटकर कूँची बनाई जा सकती है। जहाँ भी उपयुक्त जगह दिखाई पड़े, वहाँ इस प्रकार आदर्श वाक्य लिखे जा सकते हैं। वाक्यों में भिन्नता रखी जाय, तो वे पढ़ने वाले की उत्सुकता भी बढ़ाते हैं और उससे विभिन्न स्तर की प्रेरणाएँ भी मिलती हैं। इस

तरह के वाक्य बड़ी संख्या में खोजे जा सकते हैं। निम्न प्रकार के वाक्य भी लिखे जा सकते हैं—

(१) परमेश्वर का प्यार केवल सदाचारी और कर्तव्य-परायणों के लिए सुरक्षित है। (२) दूसरों के साथ वैसी ही उदारता बरतो, जैसी ईश्वर ने तुम्हारे साथ बरती है। (३) अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो। (४) धन से ज्ञान बड़ा है, क्योंकि धन हम रखाते हैं और ज्ञान हमारी रखवाली करता है। (५) जीवन का अर्थ है समय—जो जीवन को प्यार करते हैं, वे आलस्य में समय न गँवाएँ। (६) सज्जन अमीरी में गरीब जैसे नम्र और गरीबी में अमीर जैसे उदार होते हैं। (७) जो जैसा सोचता और करता है, वह वैसा ही बन जाता है। (८) शांति से क्रोध को, भलाई से बुराई को, शौर्य से दुष्टता को और सत्य से असत्य को जीतें। (९) शारीरिक, मानसिक और आर्थिक संयम बरतने वाले ही शक्तिशाली बन सकते हैं। (१०) ईश्वर ने आँख, कान दो-दो और जीभ एक ही दी, ताकि हम देखें सुनें अधिक, बोलें कम। (११) गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। (१२) दूसरों के साथ वह व्यवहार न करो, जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। (१३) अपने को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो, यदि इस काम में सफलता मिल गई तो हर काम में सफलता मिलेगी। (१४) ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ जीवन नीति है। (१५) शालीनता बिना मोल बिकती है, पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। (१६) आलस्य से बढ़कर अधिक समीपवर्ती शत्रु दूसरा नहीं। (१७) ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करता है, जो अपनी सहायता आप करते हैं। (१८) भारतीय धर्म-संस्कृति की जननी गायत्री है। (१९) सच्चा मित्र वह है जो बुराइयों से बचाये। (२०) कर्तव्य का ध्यान रखिये अधिकार का नहीं। (२१) मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। (२२) केवल उन्हीं की प्रशंसा कीजिए, जो धर्म पर दृढ़ हैं। (२३) अनीति के आगे सिर न झुकाइये। (२४) मनुष्य का जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता उसे कठिन प्रयत्नों से मिलती है। (२५) बुद्धिमान वे हैं—

जो बोलने से पहले सोचते हैं और मूर्ख वे हैं—जो बोलते पहले हैं और सोचते बाद में हैं।

इस प्रकार के आदर्श-वाक्यों की लेखन-प्रक्रिया से एक वातावरण बनता है। जिधर से भी निकलें—उधर ही प्रेरणाप्रद प्रशिक्षण मिलता है, तो मनुष्य यह सोचने लगता है कि सर्वत्र इसी स्तर की विचारधाराओं का प्रवाह बह रहा है और जिनकी दीवारों पर यह लिखा गया है, वे सभी इन विचारों से सहमत हैं। इतना सोचें तो इतना अनुमान तो लगता ही है कि इस क्षेत्र में इस प्रकार की विचारधारा का बाहुल्य है। कहना न होगा कि वातावरण की छाप हर मनुष्य पर पड़ती है। हवा के रुख के साथ चलने की सहज इच्छा उत्पन्न होती है। बोलती दीवारों के आंदोलन को हमें पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना चाहिए और अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर इंगित कराने वाला वातावरण उत्पन्न करना चाहिए।

जन-जागरण के लिए इस तरह के अनेकों प्रयास चलाये जा सकते हैं; इन प्रयासों में उपेक्षा और हेठी प्रतीत होती है तो उसे भी सहन करें। इस जन-जागरण के लिए-सद्ज्ञान प्रसार के लिए-ज्ञानयज्ञ अभियान के लिए उत्साह दिखाना चाहिए। लोग क्या कहते हैं ? और क्या टीका-टिप्पणी करते हैं ? इस ओर से आँख-कान बंद करके ही चलना चाहिए। लोगों को क्या करना चाहिए ? इसी के लिए प्रयत्न करने चाहिए। लोगों में यदि निष्कर्ष निकालने की शक्ति होती तो फिर इतना परिश्रम ही क्यों करना पड़ता ? बीमार के रूठने, बड़बड़ाने और आक्षेप लगाने पर दवा पिलाने का प्रयत्न शांतचित्त से, बिना उसकी बातों पर ध्यान दिये करना ही चाहिए। जन-सेवा के लिए भी ऐसा ही करना होता है। जो माँगे वह देना सेवा नहीं, समाज के लिए जो हितकारी है, वह उसे देना ही सेवा परिचर्या है। समाज में व्याप्त पीड़ा और अभावों का निराकरण जिस वैचारिक एवं भावनात्मक पृष्ठभूमि पर संभव है, उन्हें पैदा करने का प्रयास ही वास्तविक एवं स्थाई सेवा कहलाने योग्य है। अस्तु प्रस्तुत सुझावों के आधार पर यह उच्चस्तरीय सेवा साधना करने के लिए हर एक को साहसपूर्वक आगे आना चाहिए।

मुद्रक: युग निर्माण योजना प्रेस, मथुरा